असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 फरवरी, 2018

षोडश विधान-सभा बुधवार,तिथि 28 फरवरी,2018 ई0
नवम् सत्र 09 फाल्गुन,1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल, तारांकित प्रश्न सं0-105, श्री मदन मोहन तिवारी ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में जो बच्चों की मौत हुई है...

अध्यक्ष : जो मौत हुई इसपर कल काफी देर बात हुई । आज फिर माननीय सदस्यों का प्रश्न आप क्यों बेकार करना चाहते हैं ? श्री मदन मोहन तिवारी ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-105(श्री मदन मोहन तिवारी,स0वि0स0)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान)

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना अन्तर्गत एक महादलित किशोरी से दुष्कर्म कर .... (व्यवधान)

अध्यक्ष : वह तो कल बात हो ही चुकी है । आज फिर क्यों प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं ? ठीक है, बोलिये सब आदमी, इसमें आसन का कुछ नहीं जाता है, सदन का समय जाया होता है, माननीय सदस्यों का प्रश्न जाया होता है ।

(व्यवधान)

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना अन्तर्गत एक महादलित बच्ची के साथ बलात्कार कर आखाड़ाघाट पुल के नीचे फेंक दिया गया है । दुष्कर्मी की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

महोदय, यह महादलित का मामला है .....

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-106, माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

तारांकित प्रश्न सं0-106 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । 1. दुर्गास्थान से थतियॉ तक पथ - इस पथ की लम्बाई 1.20 कि0मी0 है, यह पथ श्रेणी-1 की अर्हता नहीं रखता है । सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । 2. .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–2/अंजनी/28.02.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 के लिए महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद जारी है, जैसा कि कल मैंने आप सबों से, सदन से, अनुरोध किया था कि आज ही सरकार का 3.00 बजे से उत्तर भी होना है और कुछ समय की कमी होने के कारण जो समय का पुनर्आवंटन किया गया है सदस्य संख्या के आधार पर उसके हिसाब से आज जो सभी दलों के लिए समय बच रहा है, मैं उसकी सूचना देना चाहता हूँ :

राष्ट्रीय जनता दल	–	20 मिनट
जनता दल(यूनाइटेड)	–	05 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	10 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	–	03 मिनट
लोक जन शक्ति पार्टी	–	02 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	–	01 मिनट
निर्दलीय	–	02 मिनट

अब माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय : महोदय, देहात में कहावत है कि सोये हुए, नींद में जब सपना देखते हैं तो उसी को सपना कहते हैं लेकिन सपना वह नहीं है । सपना वह है जो नींद होने ही नहीं देती है । हमलोग इसको कड़वा सच मानकर अच्छे दिन का सपना देखे थे लेकिन क्या भगवान की कृपा है कि वह नींद का सपना होगा, अब हमारे दिल में, तमन्ना में यह बात है कि कैसे उस सपना को अपने दिल से दूर करें, इसके लिए हमें नींद ही नहीं अब आती है । इसके लिए हमें प्रयास करना है । महागठबंधन उसी सपना के लिए तैयार हो चुका है ।

महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को बड़े गौर से सुन रहा था । हमलोग काफी उत्सुक थे बिहार हित के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कि कुछ वे ऐसी घोषणा करेंगे कि जो घोषणा यहां कार्य रूप में परिणत हो सके। मगर संयोग ऐसा काम नहीं हुआ । महामहिम जी सरकार द्वारा लिखा हुआ वही रिपोर्ट को ही पढ़कर सुनाये, जिससे घबराहट बढ़ गई । इसलिए इसमें जो मुख्य चीजें छूटी हैं,

जिसकी ओर हमारे विपक्ष के नेता भी कल आपको इशारा किये हैं, उसी ओर कांग्रेस भी कुछ इशारा करना चाहती है । महोदय, पांच-छः चीज बहुत ही आवश्यक है किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसके सल्तनत के लिए और उसमें सबसे ज्यादा है लोग कैसे अमन-चैन की जिन्दगी जीये। अमन चैन की जिन्दगी जीने के लिए ही हम राज सत्ता पर आते हैं और हम राज सत्ता का उपभोग करते हैं और हम राज सत्ता की सेवा प्राप्त करते हैं । मगर निहितार्थ एक ही है कि कैसे हम सुखी और अच्छा जीवन जीयें । लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि आज यह स्थिति आ गयी है, खासकर के लॉ एण्ड ऑर्डर का । लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या से आज बिहार बिल्कुल चरमरा गया है । हमारी स्थिति बिल्कुल ही नाजुक एवं दयनीय है । वैसे रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि देश के स्तर पर अपराध में 22वां स्थान है, किसे खुशी हो सकती है ? हम तो यह चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिनका पक्का इरादा है कि जीरो टॉलरेंस का, न्याय के साथ विकास का, जीरो अपराध हो । जब जीरो टॉलरेंस है तो अपराध क्यों होगा ? हुजूर, आप भी जानते हैं कि जिस राज्य में, जिस राजा के राज में प्रजा सुखी नहीं रहता हो तो उस राज्य के राजा को फौरन राज छोड़ देना चाहिए । यह नीति कहती है हुजूर । हमारे माननीय सदस्य भी सब जानते हैं कि आज बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है, हम तो यह नहीं चाहेंगे कि नीतीश जी भाग जायें, हम यह चाहेंगे कि नीतीश जी हमलोगों के सहयोग से, विपक्ष के सहयोग से, महागठबंधन के सहयोग से इस बिहार को एक ऐसा खाका दें कि दुनियां में बिहार को अव्वल दर्जा मिले लेकिन हमारी स्थिति वैसी नहीं है श्रीमान्, आप इससे पता चला सकते हैं । दिनों-दिन आप देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति है । महोदय, मैं कंपेरेटिवली मंथली क्राइम का रिपोर्ट देते हैं । मर्डर में - वर्ष 2017 के जनवरी में 170, फरवरी में 191, मार्च में 223, अप्रील में 233, मई में 287, जून में 293, जुलाई में 211, अगस्त में 236, सितम्बर में 247, अक्टूबर में 274, नवम्बर में 216 और दिसम्बर में 228, कुल 2803 मर्डर हुआ एक साल में और उसमें पटना की क्या स्थिति रही ? आये दिन अखबार पढ़ने वाले चिंतित होंगे । सुबह उठकर अखबार पढ़िए तो माथे पर हाथ पटकना पड़ता है । क्यों बिहार की स्थिति इतनी गड़बड़ होती जा रही है ?

(इस अवसर पर मा0 सभापति,श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

आप देखेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है । पिछले साल हुजूर, यही मर्डर की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,89,681, कॉगनीजेंस इसमें लिया गया और वह बढ़कर हो गया 2,36,037, ग्राफ कितना बड़ा है हुजूर, मर्डर में मैं अभी बताया हूँ कि पिछले साल 2581 जहां था, वहां इस बार 2803 है आंकड़ा । फिर उसी तरह डकैती में 349 था वर्ष 2016 में था, वहां अब 325, रॉबरी में 1410 था, वहां 1594 । चोरी में 22,228 था, वहां अब 27हजार के उपर है । राईट्स में

11,617 था, अब 12हजार से उपर है । किडनेपिंग में 7300 था और अब 9 हजार से उपर है हुजूर । रेप में 1008 था और अब लगभग 1200 से उपर है । रोड डकैती 169 अब 165, चार कमा है रोड डकैती । रोड रॉबरी में हुजूर, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । बैंक डकैती में भी वृद्धि हुई है । इस प्रकार आप देखेंगे कि शनैः-शनैः हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है । खासकर के किडनेपिंग में, जहां जनवरी में 548 था, वह बढ़ते-बढ़ते 636 पर इस बार दिसम्बर में ईंड किया है । अभी तो दो महीने का अलग रिपोर्ट विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त नहीं हुआ है । इस तरह से आप देखेंगे कि हर तरह का ग्राफ चोरी, रॉबरी, डकैती, मर्डर, किडनेपिंग, राइट्स, आप चाहते थे कि सब के साथ मिलकर विकास का काम करें । सब को समान अधिकार दें, सब को समानता से देखें फिर राइट क्यों हुआ महोदय । इस तरह दंगा क्यों हुआ हुजूर ? 750 दंगा जनवरी में, 723 फरवरी में, 1084 मार्च में, अप्रील में 959, मई में 1201, जून में 1211, जुलाई में 1048, अभी 861 है, यानी 11,698 । हुजूर, कितना आश्चर्यजनक है ।

.....क्रमशः.....

टर्न-3/शंभु/28.02.18

श्री रामदेव राय : क्रमशः.....एक ओर हम धर्म निरपेक्षता का नारा देते हैं, एक ओर सभी धर्मवालों को एक नजर से देखना चाहते हैं, भारत की संस्कृति रही है, बिहार की संस्कृति रही है । हमारा संविधान कहता है, हमारा साहित्य कहता है, लेकिन बिहार में इतने दंगे हुए हैं । इस दंगा की जवाबदेही किसपर होगी- राज्य सरकार पर होगी या आम जनों पर यह निर्धारित करने की जरूरत थी राज्यपाल जी को, लेकिन राज्यपाल जी अपने भाषण में इसका उद्धरण नहीं किये हैं । इसलिए उनका यह भाषण अधूरा माना जायेगा । ठीक है- हम राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन क्यों वे सही आंकड़ा को पेश नहीं कर सके इसलिए महागठबंधन को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को मुसीबतें और चुनौतियां आती है और जो इससे भागता है वह नयी चुनौतियों को जन्म देता है और जो इसका डटकर सामना करता है तो चुनौतियां भागती है, चुनौतियां भागकर रहेगी, मुसीबतें भागकर रहेगी। हम बिहार में मुसीबत नहीं आने देंगे, बिहार के लोग इसकी चुनौती लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप इसको पढ़ लें क्या लिखा हुआ है ? संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। कैसे हम अंग हैं ? आज विधायिका की क्या स्थिति है ? देख लीजिए । आज सरेआम विधायकों का अपमान होता है, विधायकों से रंगदारी मांगी जाती है । हमारे जद यू0 के विधायक से कुछ दिनों पहले रंगदारी मांगी गयी और जिस देश में, जिस राज्य में विधायक सुरक्षित नहीं हो, विधायिका सुरक्षित नहीं हो

(व्यवधान)

मंत्री जी की इज्जत बचा देते हैं चूंकि हम तो महागठबंधन के साथी हैं और कांग्रेस का यह संस्कार भी रहा है । ज्यादे किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं श्रवण बाबू । मंत्री जी से क्यों रंगदारी मांगा जायेगा, यह तो समझने की चीज है । अगर विधायिका इस तरह से गिरती चली जायेगी तो विधायिका अप्रासंगिक हो जायेगी । आगे आनेवाला बिहार का फ्यूचर क्या होगा ? आंकड़ा से तो हम बता सकते हैं, लेकिन एक दिन श्रवण बाबू सरजमीन पर जरा अपने ही गांव में साधारण नागरिक बनकर ब्लॉक में चले जाइये, थाना में चले जाइये और स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति है बिहार की? हम यह नहीं कहते हैं कि यही स्थिति बनी रहे, हम चाहते हैं कि इस स्थिति में सुधार हो । चलिए आप थाना, चलिए आप जहां आम जनता का निवास है, जहां आम जनता की जरूरत है, जहां आम जनता को संबंध कायम रखने की जरूरत है वहां आम जनता बेहाल है । उसकी बेहाली को दूर करने के लिए आपको, राज्यपाल जी को अपने भाषण में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए था जो नहीं दे सके, इसके लिए हमें कष्ट है, दुख है और मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी नीति और कार्यक्रम से इसकी सुरक्षा करे और इसका देखरेख करे । आप महादलित की बात करते हैं, महादलित की सुरक्षा की बात करते हैं और आप देख लीजिए हुजूर कि दलित मामले में दिसम्बर, 2017 तक लखनऊ एक नंबर पर था और बिहार दो नंबर पर, यही दलित की सुरक्षा है ?

जिस राज्य में ये दलित बेचारे दलित रह जाएं और आप राजनीतिक बंटवारा कर दें महादलित बनाकर तो फिर दलित और महादलित की परिभाषा बदल जायेगी । इसलिए इसकी सुरक्षा की गारंटी आपको लेनी होगी और आप नहीं लेते हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे ख्याल से यह भी अपराध माना जायेगा । हुजूर, आप देख लीजिए मात्र पटना जो हमारे नाक के नीचे है, जहां हम आज विधान सभा में बैठे हुए हैं 173 हत्या हुई है मात्र दो महीने के अंदर, तीन महीने के अंदर और डकैती 54 हुई है । जब पटना को हम सुरक्षित नहीं रख सकते तो गया, जहानाबाद, बेगुसराय, आरा, दरभंगा, मधुबनी का क्या हाल हो सकता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप सरकार की ओर से यह बताये कि महामहिम राज्यपाल महोदय के जरिये वैसे प्रतिवेदन सदन में नहीं प्रस्तुत करें जिसमें संशय हो, जिसमें निश्चित रूप से लोग दुविधा में आवें । आप यह देख लीजिए हुजूर 18 से अधिक उम्र के लड़कों का अपहरण बिहार देश में अव्वल है- वहां तो दो नंबर पर था और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों के अपहरण में बिहार एक नंबर पर है । कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का । आप बता दीजिए जो बिहार की छवि आप बनाते हैं, बिहार की छवि की चर्चा करते हैं । हमलोग भी बाहर में बिहार की छवि गिरने देना नहीं चाहते हैं । हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहार की छवि बिगड़े । उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से विपक्षी दल से और सारे लोगों के सहयोग से इसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो नहीं हुआ । आप एक ओर नारा लगाते हैं बाल विवाह और दहेज के बारे में- 3400 पकड़ौवा बाल विवाह हुआ है बिहार में और आप यहां सोये रहे, आप बैठे रहे, आप भाषण करते रहे, जनता को बुलाते रहे, जनता से

संपर्क करते रहे, जनता को अपनी बात समझाते हैं, लेकिन जनता की बात को आप समझ नहीं पाते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है ? उसकी बात कौन सुनता है ? आप शुरू किये संवाद, किससे संवाद करते हैं पता नहीं लगता है । अफसर से संवाद करके आप घर चले जाते हैं या अपने मंत्री से संवाद करते हैं ? कभी विधायकों से संवाद हुआ है क्या ? जो जनप्रतिनिधि गांव से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, आम अवाम से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रे की जरूरत से जुड़ा हुआ है, आपकी सारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उनसे संवाद लेनेवाला कोई नहीं । आप कांग्रेस रीजिम को देखेंगे कि हर दिन प्रत्येक दिन हमारा मुख्यमंत्री आम अवाम से मिलते थे और विधायकों के लिए दरवाजा खुला रहता था, लेकिन आज वह हमारी स्थिति नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत में कोई खोट है, हो सकता है कई कारणों से अकेले उनको काम करना पड़ता होगा, हो सकता है कि मंत्री लोग उनको पूरा सहयोग नहीं देते होंगे । सबसे बड़ी बात है हुजूर कि एक बैलगाड़ी को दो बैल आगे से खीचे और दो बैल पीछे से खीचे तो उस बैलगाड़ी की क्या स्थिति होगी ? गौर कर लें । आप इसी बात को समझ लीजिए, यही हाल हमारे बिहार की हो गयी है । जो हमारा मुख्य साधन था उसको दो बैल आगे से खींच रहा है दो बैल पीछे से ।

श्री हरिनारायण सिंह(सभापति) : रामदेव बाबू, आपका समय सिर्फ दो मिनट है ।

श्री रामदेव राय : हमारा 20 मिनट समय है, अभी तो हम डकैती चोरी में ही हैं ।

श्री हरिनारायण सिंह(सभापति) : 20 ही मिनट समय आपका है ।

श्री रामदेव राय : सामना करने के लिए आ ही रहे हैं ।

श्री हरिनारायण सिंह(सभापति) : दो मिनट ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, दो ही मिनट दीजिएगा । आप यह देखिए अपराध रोकना कितना बड़ा पुण्य का काम होगा । आप ही बताइये हुजूर आप चेयर पर हैं और उसके लिए दो मिनट का समय होता है ? इसलिए तो मैं कहा कि विपक्षी दल से, विरोधी दल से, गठबंधन से सहयोग लीजिए । तब बिहार चलेगा, ऐसे भाषणबाजी से बिहार चलनेवाला नहीं है- केवल लालू यादव का नाम रटने से बिहार का कुछ होनेवाला नहीं है । जितना बार लालू यादव का नाम लीजिएगा उतना 50 हजार वोट प्रतिदिन लालू जी का वृद्धि होगा । इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिहार को आगे बढ़ाइये, हम सारे लोग आपके लिए तैयार हैं । हजारों करोड़ का बजट है । हुजूर, बावजूद गोबर उठानेवाली का नाम- किसे कहते हैं गोबर उठानेवाला ? वह किसान जो गोबर उठाने का काम करता है वह अन्नदाता है और उसी की मेहरबानी पर हम जीते हैं । वह बेहाल है, फटेहाल है, बुरा हाल है, कहां जियेगा, कैसे जियेगा, बच्चे को कैसे पढ़ायेगा, बच्ची का विवाह कैसे करेगा ? उसपर किसी ने ध्यान नहीं दिया । हुजूर, उनके जीवन में खुशहाली हो इसके लिए सरकार को प्रतिबद्धता स्वीकार करनी होगी । 56 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खेती होती है और करीब 7 करोड़ की आबादी कृषि पर निर्भर है और राज्य में सवा करोड़ से ज्यादा केवल किसान परिवार हैं, लेकिन आज

उनकी क्या स्थिति है ? आप उसके खेत में जहर बुआते हैं । उसके खेत में जहर दिलवाकर उसकी जीविका का हनन करते हैं, खेती मारी जायेगी, खेती की उर्वरा शक्ति घट जायेगी और सेहत पर बुरा असर पड़ेगा । रासायनिक खाद जो हमलोग छिड़काव करते हैं 6 महीने तक उसका दुष्प्रभाव रहता है सेहत पर और आज उसको रोकने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है । हरित क्रांति कहां चला गया ? जैविक खाद- जो पश्चिमी राष्ट्र है वह अपने राष्ट्र में रासायनिक खाद को उपयोग करनेवाले को दंडित करता है और वही कंपनियां हमारे यहां आकर के पोटाश, यूरिया आदि खाद बनाकर हमारे खेत में जहर पैदा करता है । हम अपने किसान के लिए चिंता नहीं करते हैं । हमें चिंता करनी होगी । हम किसान को अनुदान देते हैं, क्या अनुदान देते हैं, लेकिन आपको याद है कि आज हमारे बिहार का किसान पशुपालक किसान अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है बिहार में । दूध की नदियां बह गयी है हुजूर लेकिन गाय की संख्या कम होती जा रही है । गौपालक की संख्या इसीलिए कम होती जा रही है क्योंकि उसके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है । देख लीजिए खुद्दी, चुन्नी जितने भी चीज हैं.....क्रमशः.....

टर्न-4/अशोक/28.02.2018

श्री रामदेव राय : क्रमशः... आप देख लीजिये हर चीज, गाय की जो चारा है उसके दाम में अप्रत्याशित बृद्धि होती जा रही है । और आप देखेंगे फैट, जिससे दूध का दाम आंकते हैं, 1970 का है, फैट 1970 का बना हुआ है हुजूर, दूध हम आज खरीदते हैं, इन किसानों की क्या होलत होगी ? पहले लोगों के पास पुरानी गाय थी, देशी गाय थी, उसका फैट ज्यादा होता था, आज सभी विदेशी नस्ल की, कहां की किस नस्ल की गाय आ गई, उसका फैट बहुत कम होता है । किसान मारा जा रहा है इसलिए किसान खेती छोड़ करके गौ पालन की ओर जा रहा हैं लेकिन इसके लिये कोई उपाय नहीं है । विगत सेशन में अपने संशोधन में मैं कहा था कि बिहार में गुरू गोविन्द सिंह स्मारक डेयरी विश्वविद्यालय खोलिये और डेयरी को प्रोत्सोहित कीजिये ताकि देश हमारा, एक खुशहाल भारत बने और बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाये ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): आप समाप्त करें, आपका समय हो गया है । 20 मिनट हो गया है।

श्री रामदेव राय : दो-तीन मिनट में समाप्त कर देंगे, लास्ट कर देंगे ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : जी । 2022 तक आमदनी को दुगना करने की बात है और हमारा जो लागत होगा फसल उत्पादन की उसको डेढ़ गुणा करने की, यह डपरोशंखी घोषणा हुई है । क्या सम्भव है सर ? हमारा जो मुनाफा है वह दुगना हो जायेगा 2022 तक ? यहां

यंत्रीकरण हो गया है, जितनी भी प्राकृतिक रूपरेखा खेती की थी वह मारी गई, नदियां में पानी बेकार है, पानी बैठा रहता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, हमारे पास दर्जनों नदियां हैं जिस तरह से पानी के बीच रहते मछली प्यासी रह जाती है उसी तरह किसान का खेत प्यासा का प्यास पड़ा हुआ है । जितने ट्यूववेल हैं देख लजिये, सरकारी नलकूप हैं और जितने लिफ्ट ऐरिगेशन हैं, वे सारे बंद पड़े हुये हैं, सारे बंद पड़े हुये हैं । लेकिन जब बजट आयेगा, मंत्री जी बजट पेश करेंगे तो कहेंगे इतना चालू हैं, इतना को चालू करने वाले हैं, भूत, भविष्य तीनों को यहां रख देते हैं, उस समय हमलोगों को दिक्कत होगी फिर सरकार को भी मुसीबतें आयेंगी, किसान के लिए आप कोई विकासात्मक कार्यक्रम नहीं रखें हैं अपने बजट में । राज्यपाल जी नहीं पढ़े हैं इसलिय हम उसमें संशोधन डाले हैं कि किसान के लिए, मजदूर के लिये, देख लीजिये, मनरेगा की क्या स्थिति है, सारा मनरेगा बंद है देख लीजिये, मनरेगा बंद है और गांव के लोगों को किससे ज्यादा काम होता हैं, गांव में जाइये, आप भी हुजूर जाते होंगे, तो लोग पूछते होंगे कि इन्दिरा आवास कब मिलेगा विधायक जी, पेंशन कब देंगे विधायक जी और हम देख कर आ रहे हैं , हर साल आप घोषणा करते हैं कि 30 जून को.....

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । आप का हो गया दो मिनट । माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद ।

श्री रामदेव राय : माननीय मुख्यमंत्री सारी योजनाओं को सरजमीन पर लाने का प्रयास करें, हमलोग सहयोग देने को तैयार हैं । कई और बातें हैं । गांव की जो व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था को आज अपने हाथ में लेना चाहते हैं, विधायकों को हटावें, (व्यवधान) इसलिये मैं निवेदन करता हूॅ कि आप मशीनरी बनाइये विधायकों एवं विधायिकाओं का तब ही बिहार का सल्तनत चलेगा और तब ही बिहार का सर्वांगीण विकास होगा ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है । श्री रामानुज प्रसाद ।

श्री रामानुज प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): आपका समय 13 मिनट है ।

श्री रामानुज प्रसाद : 13 मिनट है? 20 मिनट है न हमारा ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): हां, 20 मिनट है ।

श्री रामानुज प्रसाद : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी के द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लाये गये संशोधन के पक्ष में और धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूॅ ।

महोदय, यह विदित सत्य है कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के द्वारा तैयार किया गया डोकुमेंट रहता है । सरकार जो अपनी बातें कहना चाहती है, जो बातें रखना चाहती है, जो अपना प्रचार कराना चाहती है, अपने कामों का ढिंढोरा पीटना चाहती हैं उनको डोकुमेंट के रूप में महामहिम से पढ़वाने का काम करती हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ महोदय कि मेरा यह कहना है कि चाहे राज्यपाल जी के भाषण को जितना लबोलुबाब के साथ लिख दिया जाय लेकिन एक कहावत है 'सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से ' तो ये कागज के फूलों से खुशबू लाने का जो प्रयास किया गया है, यह सर्वविदित है कि यह जो डोकुमेंट पढ़वा गया महामहिम राज्यपाल महोदय से वह पहले का ही डोकुमेंट है, इसके पीछे का डोकुमेंट देख लें । महामहिम का अभिभाषण गत वर्ष का देख लें, इसके पीछे का देख लें और इसको मिला लें, पूरे के पूरे वह नकल ही है, कहीं से कोई नई बात नहीं है । नई बात हो भी नहीं सकती, नई बात हो भी नहीं सकती क्योंकि यह जो पूरा का पूरा मामला है, जब हमलोगों ने यह सुन रखा है, पढ़ रखा है, जाना है कि साहब कि जब कोई व्यक्ति सरकार में लॉन्ड होते हैं, लोग जब आते हैं तो वह सरकार किसके लिए काम करेगी, किस सिद्धांत पर काम करेगी, राज्य और देश की किस जनता के पक्ष में खड़ी होगी, अगर दु:ख में पड़े हैं लोग तो वह किनकी बात करेगी अगर न्याय करना हो तो उनकी सरकार की कलम किधर झुकेगी लेकिन ये जो इस बार की जो सरकार है, जो सरकार आई है चोर दरवाजे से, जो सरकार कहा करते थे कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता सदन कि हम संघ मुक्त भारत बनायेंगे, संघ मुक्त भारत बनाने की बात करने वाला व्यक्ति, संघ के संग नहीं हुआ बल्कि संघ के सामने घुटने टेक दिया । अब तक तो हमलोगों ने देखा था कि साहब लोग हमलोग कहते थे, हमारे नेता ने भी एक बार कहा था कि नीतीश जी आर्टिकुलेट पॉलिटिशियन हैं, आर्टिकुलेट पॉलिटिशिन है नीतीश जी, आर्टिकुलेट । लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश जी आर्टिकुलेट पॉलिटिशियन हो या न हो यह तो चर्चा का विषय है लेकिन नीतीश जी आर्ट ऑफ स्कैम मैनेजमेंट गुरू जरूर हैं। और पहली बार दुनिया में, दुनिया में पहली बार, अभी तक तो राजस्व के घोटलो, कोष के घोटाले एवं अन्य प्रकार के घोटाले होते रहे हैं लेकिन नीतीश जी का जो यह कारनामा हुआ यह इस बार साबित किया है कि सरकारों के घोटाले करने में भी नीतीश जी माहिर हैं, ये पॉलिटिकल स्कैम में भी माहिर हैं, यह परिलक्षित हुआ, नीतीश जी इसके पहले इसके पहले जब आप एन.डी.ए. में थे और एन.डी.ए. में न आप सिर्फ थे बल्कि भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, जब भारत सरकार मे रेल मंत्री हुया करते थे तो गुजरात में जाकर के माननीय आज के

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री थे, उनको जाकर न सिर्फ सर्टिफिकेट दिया था, बल्कि आडवाणी जी के साथ मिलकर के बचाने का काम किया था । आप चाहे होते तो प्रधान मंत्री पक्ष में थे, वाजपेयी जी कह रहे थे कि राजधर्म नहीं निभाया गया, लेकिन राजधर्म पर प्रधानमंत्री कह रहे थे और आप जाकर के उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे। जब आप को मुख्यमंत्री बनना था, जब आप रेल मंत्री थे तो आप नरेन्द्र मोदी जी को सर्टिफिकेट एवार्ड कर रहे थे धर्म निरपेक्ष होने का छोटी सी घटना बताया था गोधरा के प्रकरण को लेकिन जब आप मुख्यमंत्री हो गये, जब आपने अपने में मजबूती महसूस किया तो आपने उसी व्यक्ति को जब कभी आपने बचाया था उस व्यक्ति को आप अपराधी, उस व्यक्ति को आंतकी, उस व्यक्ति को आप साम्प्रदायिक बताने लगे, देश भर के लोगों ने कहा कि हो सकता है कि मन परिवर्त्तन हो गया, देश भर के लोगों ने देश का सारा बुद्धिजीवी तबका, हमलागों ने पढ़ा कि बहुित सारे देश के लोग जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले जो मीलपथ के गामी थे, सारे बुद्धिजीवों ने एक आशा बांधा, हमलोगों को भी आशा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल के प्रधान मंत्री के उम्मीदवार हैं, नरेन्द्र मोदी के काउन्टर पार्ट हैं, अकेले मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, जिनको आगे करके ओर हमलोग नरेन्द्र मोदी को और फासिस्टवादी शक्ति को जवाब देने का काम करेंगे । लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या ? क्या हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी ? कौन सी मजबूरी आपको हो गई, आपको अगर था ही ऐसा अगर कुछ लग रहा था कि आपके कैबिनेट में बैठा हुआ कोई मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपके अगर संघ मुक्त भारत बनाना था तो आपको सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए था ।

...क्रमशः...

टर्न-5/ज्योति/28-02-2018

क्रमशः

श्री रामानुज प्रसाद : बहुत लोग आपके साथ हो लेते, आप अगर दो चार दिन इंतजार करते, तो आपको मनाया जाता । उसमें से चले गए माननीय बिजेन्द्र यादव जी, मंत्री उठ करके चले गए, मैं उसमें से एक था, अपनी औकाद चाहे मेरी जितनी हो, मैंने पूरा लॉबी किया है, भोला यादव यहॉ बैठे हुए हैं, शक्ति जी बैठे हुए हैं, मैं दिन रात, जितने भी मेरे साथ थे, मैं कहता था कि नहीं अगर नीतीश जी चाह रहे हैं, भाजपा छोड़कर आए हैं, हम सब लोगों को लालू जो को कम्पेल करना चाहिए, लालू जी कहते थे कि नहीं, हम जहर खा लेंगे, यह व्यक्ति हमको जेल भेजवाया, यह व्यक्ति हमको प्रताड़ित किया, यह व्यक्ति हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हम नहीं जाने वाले हैं । मुझे स्मरण है भोला जी मुड़ी हिला रहे हैं, मुझको बिजेन्द्र बाबू ने कहा रामानुज जी यू शूड ट्राई योर बेस्ट, मैं

राता-राती गया, देखा भोला जी और शक्ति जी मैडम के पास बैठे थे, मैडम पूछी का हाल बा रामानुज जी, हमरा कहीं कि कहां से आवतानी क्षेत्र से, तो मैंने कहा कि रऊवे यहॉ अईली हॉ । अरे मेरी बात सुनिये न, कलेजा मजबूत रखिये, बात पर मैं आ रहा हूँ, सारी बातें हैं, सारी बातें मैं रखॅूगा, यह देश के लिए बहुत जरुरी है, मैंने मैडम को कहा- मैडम देश में साम्प्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए और समाजवाद को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, हमलोगों को नीतीश जी से हर हाल में समझौता करना चाहिए, आप साहेब को कहिये, साहेब को बुलवाईये, कहॉ हैं साहेब ? साहेब जो हैं दिल्ली में हैं । प्रेम गुप्ता जी देख न का, तो कह दिए हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमने कहा उनको कहिये, भोला जी गवाह है, इन्होंने फोन लगाकर दिया और मैडम बात करी और उन्होंने कहा नहीं, आईये नीतीश जी से समझौता होगा, हमारे एम.एल.ए. भी चाह रहे हैं, हमारे वर्कर भी चाह रहे हैं, हमारे वोटर्स का भी फीड बैक यह है, जो सामाजिक न्याय का वोटर है, जो फासीवाद से लड़ना चाहता है, जो यथास्थितिवाद से लड़ना चाहता है, जो साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं, वैसे सारे लोग चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके नेतृत्व में हमलोग काम करके और फांसीवादी शक्ति को न सिर्फ इस देश से समाप्त करे बल्कि नरेन्द्र मोदी को डिसलॉज करके और जो आर.एस.एस. का जो एजेन्डा लागू किया जा रहा है सारे कंस्टीच्युशनल इंस्टीच्युशन को नहीं छोड़ा गया, कहीं भी चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, यू.जी.सी. हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहॉ भी देख लीजिये आर.एस.एस. के एजेन्डा फिट किया जा रहा है और आप कहा करते थे, कभी नरेन्द्र मोदी जी पर कटाक्ष करते थे, सारा देश सुनता था, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हुआ ? क्या हुआ आपकी उस मंशा का ? कौन सी मजबूरी हो गयी, क्या आपको डरा दिया नरेन्द्र मोदी जी ने या अमित शाह ने डरा दिया कि आपको भी भईया के साथ भेज दिया जायेगा ? बउआ को भी सृजन घोटाला का भय, आपको सताने लगा, यह तो नरेन्द्र मोदी का भय, आपको क्या भय सताने लगा शौचालय घोटाला का ? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं चलने वाला है, हम आपको बताना चाहते हें कि जो आप कहा करते थे, कहॉ गया ? अरे भाई बैठ जाईये, सभापति महोदय, हमलोग के नेता रहे हैं, हमलोगों के भी सदन के नेता हैं, काफी सम्मान करते रहे हैं इनका, हमलोग इनका सम्मान करते हैं, हम लोग लड़ जाते थे पार्टी में, इनके पक्ष में कई लोग आज भी मुझको कहते हैं, आप तो नीतीश जी के बड़े फैन थे, बहुत फैन थे नीतीश जी लेकिन जब हमलोगों को यह मुंह की खानी पड़ी, जब हमलोगों को इस स्थिति में होना पड़ा, तो हम आपसे देखना चाहते थे, अगर आप किसी मजबूरी में चले भी गए तो आर.एस.एस. का व्यक्ति जो भारत की सरकार में बैठाया गया है, वह संविधान बदल देने की बात कर रहे हैं, रोज के रोज नये-नये जो हथकंडे हो रहे हैं, रोज कोई कह रहा है कि हम संविधान बदलने आए हैं, उसमें आपने

मुंह बंद रखा, रोज आप देख रहे हैं कि देश में अकलियत के लोगों के साथ क्या हो रहा है ? देश में आज मोहन भागवत को आपने प्रोवाईड कर दिया है बिहार की धरती, यह समाजवादियों की धरती रही है, मोहन भागवत आकर दस दिनों से घूम रहे हैं, मोहन भागवत न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर और किशनगंज को कैराना बनाने की साजिश हो रही है और आप माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह तक नहीं खोलने का काम रहे हैं, आपको लाख मजबूरी हो लेकिन आप कभी घूमा करते थे, आप कभी कहा करते थे, हमलोग यह समझते थे कि किसी मजबूरी में हमारा सामाजिक न्याय का साथी, वह लोहिया का बात करने वाला, कर्पूरी की बात करने वाला, गांधी की बात करने वाला, अगर आप गांधी के हत्यारा के साथ बैठे हैं, तो यह झुकनेवाला नहीं होगा । कभी हमारा नीतीश कुमार झुकेगा नहीं लेकिन आप ऐसे झुके कि तलवा चाटने लगे, ये कहॉ की बात है ? आपको हम कहना चाहते हैं कि आर्ट औफ स्कैम मैनेजमेंट, गुरु साहेब क्यों आप मुंह बंद किए हुए हैं, इस देश में पॉलिटिकल स्कैम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तो हमलोग समझते थे कि आप गेम चेंजर हैं, हमलोग कहा करते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी गेम चेंजर हैं, देखिये कभी भाजपा के लोगों को लात मार कर चले आए, सबको बर्खास्त कर दिया, अश्विनी चौबे का देखा था बाईट देते हुए उनका जो आया था आप बर्खास्त करके उधर से आ गए थे, हमारे जैसे लोग आपके पक्ष में लड़ रहे थे, खड़े हो रहे थे, कह रहे थे हमारा भाई जो किसी कारणवश भटक गया था, आज हमारे साथ है, देश की सब लड़ाई को हमलोग जितेंगे, तो जो हमारा वंचित समाज है, जो दलित वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अकलियत समाज है, मजबूती से आपके पीछे खड़ा हो गया था, आपको लालू जी ने चंदन लगा दिया था कि हमारा यह भाई देश का प्रधानमंत्री बनेगा और हमलोग प्रधानमंत्री बनायेंगे, कौन सी मजबूरी हो गयी आपको ? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपके सरकार में तो पहले भी होते रहे हैं, पहले भी घोटाले होते रहे हैं, उसकी लम्बी फेहरिस्त है, आपने कीर्तिमान बनाया हुआ है, आपके राज्य में ए.सी./डी.सी. बिल घोटला हुआ, बाढ़ राहत घोटाला हुआ, ब्रियाडा घोटाला हुआ, डिजल घोटाला हुआ, डायचा बीज घोटाला हुआ, रबी घोटाला हुआ, शराब घोटाला पर हम बोलना चाहते हैं । शराब घोटाला पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । हमने आपको एक बार कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, मध्यप्रदेश घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, झारखण्ड घूम रहे हैं, उड़ीसा घूम रहे हैं, आप सभी जगह शराब बंद करा रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी शराब बंद कराने का काम किया होता ? मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी पूछ सकते हैं, सारण के एस.पी. से पूछ सकते हैं, रात मैंने एस.एम.एस. करवायी है, एक ट्रक पकड़ा गया था, सुन रहे हैं सभी महकमे के लोग, दिघवारा में पकड़ा गया और उसको पुलिस वाले पैसा लेकर छोड़

रहे थे, रोज बालू और दारु का खेल बना हुआ है, कैसे कहते हैं आप ? क्या करेंगे आप, कैसे होगा ? जब तक आप नहीं पारदर्शिता लाईयेगा, जब तक आपके कहे में और करे में सामंजस्य नहीं होगा, नहीं होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी । शराब घोटाला की बात आप करते हैं, मैं शराब घोटाला उसको नाम दे रहा हूँ, कभी आप कहा करते थे इसी सदन में, मैं उस समय था, जब हमलोग कहते थे, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए, तो आपने कहा था, बहुत ये करते हैं, कहॉ से साईकिलें बटेंगी, कहॉ से पुस्तक बटेंगे, कहॉ से वस्त्र देंगें और आपने दारु को गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया था, विद्यालय, महाविद्यालय और शौचालय और मदिरालय आपने सब जगह खोलवा दिया था, अब जब आपको लगा तो दारु बेचने लगे घूम करके, आपको मैं बताना चाहता हूँ सभापति महोदय, यह इतना बड़ा स्कैम है, इसमें इतना बड़ा भेदभाव है , इतना बड़ा छेद है कि कभी हो ही नहीं सकता । यह सफल हो ही नहीं सकता है । इसके नाम पर एक न्यू इकोनॉकी ग्रो कर गयी है और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ आपको माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय चीफ मिनिस्टर साहेब कि यह कैसे सफल होगा । मनोरमा देवी को जेल और आपका प्रखंड एक अध्यक्ष पकड़ाता है तो उसके लिए एक्साईज सुपरिटेंडेंट को जेल और कंपीटेंट आई.ए.एस. अफसर जो जाना जाता है अपने काम के लिए अपने कड़कपन मिजाज के लिए उसको आप कोपभाजन बना देते हैं । अब वह उत्पाद प्रधान सचिव को कोपभाजन बनना पड़ता है । नौकरी छोड़ने पर आमादा हो जाता है । इस राज्य को छोड़ कर जाने पर आमादा हो जाता है । कैसे चलेगा ? मैं मांग करता हूँ, मैं जान सकता हूँ । यह हो सकता है कि मनोरमा के पति और मनोरमा के बेटा शराब रखा हो सकता है । मनोरमा, महिला होकर नहीं पी सकती । यह भेदभाव नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आरा में सौ लोगों से ज्यादा लोगों को शराब पिला करके मार देने वाला व्यक्ति आपके साथ सी.एम. हाउस में फोटो खींचवाता है । वह व्यक्ति जो कभी हुआ करता था वो सासाराम पब में बैठ कर शराब पिलाकर मार देने वाला, आपको यह कर सकता है । सभापति महोदय, हमारा समय आपने 20 मिनट कहा है ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह): 4 मिनट ।

श्री रामानुज प्रसाद : कृपया करके मेरी बात को संपूर्ण हो जाने दीजिये चूँकि सदन नेता बैठे हैं सुधार की गुंजाईश हो सकती है ।

क्रमशः

टर्न-6/28.2.2018/बिपिन

श्री रामानुज प्रसाद : (क्रमशः) चूँकि सदन नेता बैठे हैं, सुधार की गुंजाइश हो सकती है । मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे बात जितनी कर लीजिए, इशु को जितना चेंज कर लीजिए, आप गेम चेंजर हों या नहीं हों, इशु चेंजर जरूर हैं । पहले तो

गेम चेंजर से नेम चेंजर हुए, नेम प्लेट बदल कर सारे जगह अपना नाम लिखवाए, अब आप गेम चेंजर, नेम चेंजर, अब आप हो गए हैं इशु चेंजर । कहते हैं भारत के संसद में बैठ कर गप्पू महाराज कि न मैं गेम चेंजर, न मैं नेम चेंजर, मैं फ्लां चेंजर । मैं कहता हूं इशु चेंजर । जब आपके पकड़ खतम हो गये, आपके साख खतम हो गए, आपके धाक खतम हो गए, तब आप इशु चेंज कर रहे हैं । आप दारू बेचते-बेचते फिर चले गए बाल विवाह पर, आप चले गए दहेज बंदी पर । बाल विवाह बंदी, कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती और मानती है । इस देश के लोग भी जानते हैं कि केरल में जहां शत्-प्रतिशत् शिक्षा दर हो गया, वहां तो महिलाएं 28 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष की उम्र तक पढ़ती हैं । हमारे बिहार में भी, हमारे साथी एम.एल.एज. बैठे हैं, हमारे पदाधिकारीगण सुन रहे हैं, जो हमारी बेटियां, जो हमारी बहनें, जो हमारी महिलाएं पढ़ लेती हैं, वह कम-से-कम ग्रेजुएट भी हो जाती हैं, वह पोस्ट-ग्रेजुएट हो जाती है । वह अगर डॉक्टर, इंजीनियर, कलक्टर बन जाती हैं, तब कहीं शादी के लिए हो रहा है । अब तो बाल विवाह हो ही नहीं रहा है । आप किसके ऑख में धूल झोंक रहे हैं ? आप पढ़ा दीजिए न ! स्कूल को तो चौपट कर दिया आपने । आपके स्कूल का क्या हाल है, क्या हालत है शिक्षा का ? अभी नन्द किशोर बाबू हॅस रहे हैं, मंडल जी हॅस रहे हैं, आप इधर थे दो महीना पहले, क्या बोल रहे थे ? अभी आपका भी भाषण मैं रखा हूं नन्द किशोर बाबू और मैं प्रेम जी का भी भाषण लेकर आया हूं । आपलोगों ने क्या बोला है, अभी दो-तीन-चार महीना पहले आप क्या बोल रहे थे ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इशु चेंज नहीं चलेगा । बिहार की जनता इतनी भोली-भाली नहीं है कि कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर । जब मुख्यमंत्री बनने का मन हो, तो आइए नरेन्द्र भाई मोदी, देश मांग रहा है, जब आपको प्रधानमंत्री बनने का मन हो तो नरेन्द्र मोदी खराब हो गए । फिर आपने देख लिया कि नहीं चला दारू, नहीं बिका उत्तर प्रदेश में दारू, नहीं बिका दूसरे प्रदेश में तो आपने झट से पलटी मार दिया और आप गए होते अगर विधिवत्, हम तो कहते हैं कि अगर आपने इस्तीफा दिया होता, सरकार बर्खास्त किया होता, हमारे जैसे लोग आपके साथ खड़े हो जाते । बहुत लोग आपके साथ खड़े हो जाते और फिर इलेक्शन होता । इलेक्शन की नौबत नहीं आती । लोग आपको मनाते और मेरे समझ से आप और हीरो हो जाते । न सिर्फ नरेन्द्र मोदी को हराते बल्कि आप अगर एंटी करप्शन की बात कहते हैं, जीरो टॉलेरेंस की बात करते हैं, कौन-सा जीरो टॉलरेंस ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि हॉ साहब, यह जो आपने बिल लाया है, जो अधिकार का बिल लाया है उसमें आपकी हालत यह है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जैसे-जैसे आप सुधार की बात करते हैं, शिक्षा में आपने जो सुधार की बात किया तो उल्टा हो गया । आप लोक सेवकों का, लोगों को अधिकार दिया कि साहब, ब्लॉक में और थाने में और समाहरणालय में समय पर काम होंगे,

मगर आपके कर्मचारी, आपका नौकरशाही, आपका सिस्टम इतना करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है कि और उस काम में डिले कर देता है और लोग आर.टी.आई. डालते हैं तो लोगों को फँसाया जाता है ...

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

श्री रामानुज प्रसाद: हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऊपर से सफाई होती है । गंगा ऊपर से चलती है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठ जाइए । आप बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री रामानुज प्रसाद : ऊपर से नहीं रूकेगा ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल, ऊपर से नहीं होगा, हम तो भाजपा के साथियों से कहते हैं कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कार्मिक विभाग में जरा इंटरफेयर करए.....

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए । अब आप बोलिए । तीन मिनट ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए । समय नहीं है । सरकार का उत्तर भी होगा । बैठिए ।

(व्यवधान)

आप प्रेस में नहीं जाइएगा । आप बैठ जाएं ।

श्री सत्यदेव राम: सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण को मैं बहुत ही गंभीरता से सुन रहा था लेकिन पूरे भाषण में कहीं दिखाई नहीं पड़ा महोदय...

(व्यवधान)

बिहार कृषि प्रधान देश है और यहां 80 प्रतिशत् लोग कृषि पर निर्भर हैं और पूरा सदन इस बात को जानता है कि 75 प्रतिशत् लोग आज बँटाई पर, पट्टे पर खेती कर रहे हैं और यह भी सब लोग जानते हैं कि बिहार हर साल प्राकृतिक विपदा का शिकार हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में महोदय, थोड़ा सोचने की जरूरत है कि जो बँटाईदार अपना पूँजी लगा रहा है, अपना श्रम लगा रहा है और फसल मारी जा रही है, उस समय उसके सामने कौन-सा विकल्प रह जा रहा है । सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार हैं, हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, यह बँटाईदार किसानों के

साथ कौन-सा न्याय कर रहे हैं, इसको तो बताना चाहिए । हम चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नोटिस करें, लें, और इसको सुनें कि आज सारे बॅटाईदार किसान अपनी पूँजी लगा करके और बर्बाद हो रहा है । यह 75 प्रतिशत् उसकी संख्या है महोदय । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप भले अभिभाषण में इस बात को नहीं लाए हैं लेकिन अभी फैसला लीजिए, समय रहते फैसला लीजिए कि बॅटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें और कृषि का जो लागत मूल्य है, उसका ड्यौढ़ा मूल्य दें, यह हम मांग करते हैं सरकार से ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि इस राज्य में गरीबों की बात सुनने की इच्छा किसी की नहीं होती है । लगातार गरीबों की उपेक्षा होती रही है जबकि गरीब न्याय की बात, सही बात करता है । आज मुजफ्फरपुर में जो 9 बच्चों की दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि धरमपुर के लोगों ने पिछले लंबे समय से सरकार से यह मांग करते आए हैं कि ओवरब्रीज बने और गांव के पूर्वी भाग में विद्यालय का निर्माण हो लेकिन इस सरकार ने उन गरीबों की बात नहीं सुनी । चूंकि वहां पर एक गांव है महोदय कि वहां दलित, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी गरीब लोग हैं और उन गरीबों की बात नहीं सुनी गई । उनकी बात की उपेक्षा की गई जिसका परिणाम आया है कि दस बच्चे निर्मम तरीके से मारे गए और उन्हें भाजपा के लोगों ने मारा है, शराब के नशे में मारा है कि सत्ता के नशे में मारा है, वह एक अलग बात है लेकिन महोदय, गरीबों की बात यहां नहीं सुनी जा रही है ।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी इसी बिहार में चंपारण जिला है जहां पर आज भी अंग्रेजी कानून चल रहा है महोदय और उस अंग्रेजी कानून का नाम है कोर्ट ऑफ वार्ड्स' । आज भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन वहां के बड़े-बड़े जो भू स्वामी हैं, चीनी मील हैं, जो दंबग लोग हैं, वो कब्जा किए हुए हैं महोदय । मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि आज बेतिया में गरीब-गुरबे लोग जो सड़क निर्माण के समय विस्थापित हुए हैं, नहर निर्माण के समय में विस्थापित हुए हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के निर्माण के तहत विस्थापित हुए हैं, वे लोग भी बसे हैं लेकिन आज सरकार उन तमाम गरीबों के घरों पर, गरीबों की टोलियों पर बुलडोजर चलवा रही है और एक सौ घरों को उजाड़ दिया गया है महोदय, बुलडोजर लगाकर । मैं कहना चाहता हूं, सरकार कह रही है कि वो जमीन हम कब्जा नहीं कर सकते हैं, उनको उजड़ना ही होगा, जाना ही होगा । वह अतिक्रमणकारी हैं । महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब गरीब लोग अतिक्रमणकारी हैं तो उसी जमीन पर केंद्रीय कृषि मंत्री का 25 एकड़ में बाउन्ड्री कैसे हो रहा है ? सरकार से मैं यह जवाब मांगता हूं, सरकार को यह जवाब देना होगा महोदय ..

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक मिनट महोदय, सरकार को इसका जवाब देना होगा । मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, इसकी मांग करता हूं ...

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य राजू तिवारी जी ।

(व्यवधान)

टर्न : 07/कृष्ण/28.02.2018

(व्यवधान)

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 1 लाख 76 हजार करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया है । इस बजट में राजस्व को बढ़ाकर 23 हजार करोड़ रूपया निर्धारित किया गया है ।

(व्यवधान)

महोदय, अत्यंत प्रसन्नता होती है कि इस बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है । महोदय, कृषि रोड मैप के द्वारा न केवल कृषि का विकास होगा बल्कि किसानों की इससे तकदीर बदलेगी । महोदय, इस बजट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हरित क्षेत्र में राशि बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये 70 हजार करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं, जिसमें लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सी0पी0आई0 (मा0ले0) के माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

इस बजट में शिक्षा का बजट बढ़ाकर 32,125 करोड़ रूपया कर दिया गया है। बजट में ग्रामीण विकास के लिये लगभग 10,505 करोड़ रूपये और ऊर्जा के लिये 10,257 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं । महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में 60,793 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है । इस बजट में नये नर्सिंग होम, इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है । बजट में पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास योजनाओं को सफल रूप से लागू करने के लिये 04 अरब, 19 करोड़ 62 लाख 23 हजार रूपये निर्धारित किये गये हैं । राज्य में अधिसूचित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मत्स्य महाविद्यालय, किशनगंज में स्थापना इत्यादि पर भी इस बजट से राशि का व्यय किया जायेगा । इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सात निश्चय कार्यक्रमों में जैसे-बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर नल-जल, पक्की नली-गली, घर-घर बिजली के कार्यक्रम के लिये पर्याप्त राशि

का उपबंध किया गया है जो बिहार राज्य के लिये विकास का मील का पत्थर साबित होगा । महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बजट का स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री प्रकाश राय जी, आपको 3.00 बजे तक बोलना है । फिर सरकार का उत्तर होगा ।

श्री प्रकाश राय : सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिये कृतसंकल्पित है । राज्य सरकार राज्य की जनता को मूलभूत् सुविधा यथा-पेयजल, शौचालय, बिजली एवं आधारभूत संरचनाओं यथा-सड़क, गली-नाली, पुल आदि का विस्तार देने हेतु कृतसंकल्पित है । साथ-ही-साथ महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उच्च व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास करने का कार्य कर रही है । महोदय, सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित कर रही है जिसके तहत संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है । पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें । महोदय, राज्य में अपराध में कमी आयी है । अपराध दर के अनुसार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 22वां है । बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के पश्चात् वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016-17 में हत्या एवं डकैती, लूट, दंगा, फिरौती इत्यादि में कमी आयी है और अधिकांश मामलों में अभियुक्तों को सजा भी हुई है । वर्ष 2017 में 5,800 अपराधियों को सजा हुई है । महोदय, भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है । वर्ष 2017 में निगरानी अन्वेषण द्वारा रंगे हाथ घूस लेने से संबंधित 83 मामले, आय से अधिक संपत्ति के 42 मामले एवं पद के दुरूपयोग से संबंधित 23 मामले दर्ज किये गये हैं एवं सात लोक सेवकों की संपत्ति जप्त की जा चुकी है । महोदय, राज्य की गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के विकास क्षमता का निर्माण एवं बचत को बढ़ावा देने के लिये जीविका कार्यक्रम को लागू किया गया है । जीविका के तहत अब तक 7 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों एवं 44,485 ग्राम संगठन तथा 632 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है । इससे 83 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं । जीविका के अंतर्गत 4 लाख 14 हजार समूहों को निधि प्रदान की गयी है और 8 लाख समूह सदस्यों का बीमा करवाया गया है । मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक 01 लाख 85 हजार योग्य आवेदन स्वीकृत किये गये हैं तथा 01 लाख 94 हजार युवाओं को 79 करोड़ रूपये स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है ।

महोदय, सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु कृतसंकल्पित है । सभी आवश्यक मूलभूत् सुविधाओं को सभी को सुलभ करायी जा रही है । विकसित

बिहार के सात निश्चय के तहत गांव या शहर के सभी घरों को नल का जल, शौचालय, गली–नाली और बिजली की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करायी जा रही है । महोदय, हर घर नल का जल निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 10 हजार 544 वार्डों में कार्य आरंभ किया गया है । 1,195 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है और 2 लाख 85 हजार घर आच्छादित हुये हैं । शहरी क्षेत्रों में अब तक 1,250 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है तथा कुल 04 लाख 72 हजार घरों को नल के जल की सुविधा दी गयी है। महोदय, एन0डी0ए0 गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है और राज्य विकास की ओर अग्रसर है । धन्यवाद ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, आप दो मिनट में अपनी बात कर दीजिये । आपके पास 2 मिनट है, 3.00 बजे सरकार का उत्तर होगा ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में क्या बोल पायेंगे ?

अध्यक्ष : पुराने माननीय सदस्य अनुभवी होते हैं कम समय में सारी बात कह डालने के लिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है । महात्मा गांधी जी ने कहा था सात महापाप – मेहनत के बिना दौलत महापाप और हमारे माननीय मुख्यमंत्री 15–16 घंटे काम करते हैं। जो दौलत है, वह मेहनत का दौलत है । मेहनत के बिना दौलत महापाप है । इसका अनुसरण कीजिये । महात्मा गांधी जी के चम्पारण आंदोलन की धरती से आपको शुरूआत करने से कुछ नहीं होगा, उनका अनुपालन करना होगा ।

(व्यवधान)

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंतरात्मा के बिना आनंद महापाप । तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में शराबबंदी लागू किये । यह उनके अंतरात्मा की आवाज थी और अंतरात्मा के बगैर आप जो काम करते हैं वह महापाप है । इसी तरह से, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि चरित्र के बिना ज्ञान । बहुत आप ज्ञानी हो जाईयेगा, कुछ नहीं होगा, आप में अगर चरित्र नहीं है । उसी तरह महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नैतिक मूल्यों बिना व्यापार । वैसा व्यापार नहीं करना चाहते बिहार में । 5 हजार करोड़ का घाटा हुआ बिहार सरकार को लेकिन शराबबंदी करने का निर्णय लिया । नैतिक मूल्यों का व्यापार बिहार सरकार करती है । इससे 10 हजार लोगों को फायदा हो रहा है और 10 हजार करोड़ की बचत हो रही है ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/28-2-18

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह(क्रमशः): महात्मा गांधी जी ने कहा था इंसानियत के बिना विज्ञान, आप समझ लीजिये, बिहार के हर गांव में बिजली पहुंच गया, इंसानियत का विज्ञान, इंसानियत के बगैर विज्ञान-महापाप ।

अध्यक्षः आपने तो सारा सूत्र बता ही दिया, अब समाप्त कर दीजिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अंत कर दे रहे हैं । एक बात कह रहे हैं विपक्ष के साथियों से और सारे साथियों से एक बात कह दे रहे हैं-तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक । अरे कुछ नहीं है तो राम पर भरोसा कीजिये, कुछ तो मिल जायेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा । धन्यवाद ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मुख्यमंत्री ।

सरकार का उत्तर

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बिहार विधान-सभा के उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, किया जा रहा है और जो भी उपलब्धियां हैं, उनकी चर्चा अपने अभिभाषण में की हैं । मैं आज कुछ विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ । एक तो अभी हाल में 24 तारीख को जो एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, उससे हम सब बहुत ही मर्माहत हैं । उस दिन का वैसा दिन रहा कि सवेरे मेरे दल के एक बहुत ही सक्रिय साथी जो मछुआरा आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गयी और उसके बाद दिन में ये सूचना मिली । मैं अपने पार्टी कार्यालय में अपने साथी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने गया था और वहीं पर मीडियाकर्मी ने मेरे ध्यान में यह बात लाया कि मुजफ्फरपुर में एक हादसा हुआ है। मैं तत्काल जब लौट कर वापस आया सरकारी आवास में तो वहां इसकी पूरी जानकारी ली और ये सचमुच इतना दर्दनाक हादसा है कि मन को विचलित करने वाला है । आखिर स्कूल के बच्चे स्कूल से निकलकर सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस तरह से वाहन चलाने वाला वाहन चला रहा है कि लोगों को कुचल दे और ऐसी स्थिति आये, अनेक लोग जख्मी भी हुए तो इन सब चीजों पर जो कुछ भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है, वह सब तो किया गया और इस मामले में जो भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार हैं, जो अपने वाहन को चला रहा था तो उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए । इन सब बातों के बारे में बातचीत हो गयी अधिकारियों से लेकिन मेरे मन में इससे कोई शांति नहीं हो रही थी । मैंने सोचा कि आखिरकार सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ेंगी, सड़कों की लम्बाई बढ़ रही है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं भी

बढ़ रही हैं । वैसे केन्द्र सरकार के मोटर ड्राईविंग रेगुलेशन तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टिंग टेप, वाहन जांच, फिटनेस जांच एवं हेल्मेट के उपयोग आदि पर कार्रवाई की जा रही है बिहार राज्य में दुर्घटना के दृष्टिकोण से जो ब्लैक स्पौट है जहां ज्यादातर दुर्घटनाएं घटती हैं, उनकी भी पहचान, उनको भी चिन्हित किया गया है और सड़कों को दुर्घटनारहित बनाने के लिए साईनेज डिवाईडर आदि का निर्माण भी कराया जा रहा है । जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से केन्द्र सरकार ने जो नीति बनायी है और राज्यों में जो कुछ भी उसके ऊपर अमल होना चाहिए, पिछले कई माह से इस पर अमल भी हो रहा है, उसके लिए जो भी बुनियादी तैयारी करनी है वह भी हो रही है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मुझको लगा कि यह तो देश भर के कंटेक्स्ट में ये बातें सही हैं और होना भी चाहिए और पूरी जिम्मेवारी के साथ होनी चाहिए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लेकिन इसके बाद भी बिहार की एक और अलग किस्म की स्थिति है । हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारा घनत्व जो है आबादी का वह देश में सर्वाधिक है और वैसी स्थिति में जो सड़कों के निर्माण पर हमलोगों का जोर रहा है और जो हमारी प्राथमिकता रही है उसके चलते सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो लक्ष्य रखा कि किसी भी देहात के इलाके से जो सुदूरवर्त्ती इलाका है वहां से चलकर पटना पहुंचने में 6 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और जब वह लक्ष्य प्राप्त हो गया तो यह निर्धारित करना कि अब 5 घंटा का लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए । तो जब एक तरफ इसको ध्यान में रखकर और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सड़कों की संख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है और जैसा आप सब जानते हैं, आबादी बढ़ रही है तो इस परिस्थिति में हमलोगों को और भी विशेष प्रयास करना पड़ेगा । इसके लिए हमने 25 तारीख को ही एक बैठक बुलायी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डी0जी0पी0, पथ निर्माण के सेक्रेटरी, परिवहन के, जो ग्रामीण कार्य विभाग के हैं, उसके बाद फिर जो हमारे लॉ सेक्रेटरी हैं, इसके अलावे हमने एडवोकेट जेनरल को भी बुलाया, उस पर हमने अपने मन में जो मेरे मन में बातें आयीं, मुझे लगा कि तीन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, एक तो यह है कि जो कुछ भी यहां पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उस पर जो मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें कोई ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है । अब हालत यही देख लीजिये कि सड़क दुर्घटना से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है, मोटर वेहिकल ऐक्ट के तहत सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाने पर जो वाहन चालक हैं या जो भी उसके लिए जिम्मेवार है अधिकतम सजा दो साल है। आई0पी0सी0 में ऐसी सड़क दुर्घटना जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है को धारा 304(ए)के तहत अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है । आई0पी0सी0 की

धारा 304 के तहत जानबूझकर किया गया कोई कार्य जो मृत्यु का कारण बने और उसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो तो अधिकतम सजा आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड है । यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है । इसी धारा में जानबूझकर किया गया ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण बने परन्तु उसे मृत्यु देने के इरादे से न किया गया हो तो अधिकतम सजा 10 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों है । यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है । अब आम तौर पर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं के गंभीर मामलों में अपने लापरवाह आचरण के कारण दोषी वाहन चालक को अधिकतम दो वर्ष तक की ही सजा दी जा सकती है जो ऐसे मामले में नाकाफी प्रतीत हो रही है और सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, काफी हंगामा होता है और अंत में दोषी चालक को क्या सजा मिलती है ? तो यह बात भी मेरे मन में बहुत बुरी तरह से चलती रही तो उसके बाद हमने जो बैठक बुलायी है अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने कहा कि ये तो कानूनी प्रावधान है और यह एक केन्द्रीय कानून है ।

(क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/28.02.2018

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे और इसके बाद हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे राज्य की एक विशेष स्थिति है अधिक आबादी के घनत्व के कारण, क्या हम राज्य स्तर पर कानूनी प्रावधान कर सकते हैं ? केन्द्रीय कानून में मूल एमेंडमेंट का अधिकार तो पार्लियामेंट का है लेकिन राज्य अपने राज्य के लिए एमेंडमेंट कर सकती है जिसकी सहमति केन्द्र से लेनी पड़ती है । हमलोग इसके बारे में भी सोचें कि अपने यहाँ क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कानूनी प्रावधान और थोड़ा कठोर हो । इसके चलते यह भी एक बात हमने कही है ।

दूसरी बात है कि अब जितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है, हमलोग खुद भी देखते हैं ग्रीन फील्ड में हाई-वे का निर्माण हो रहा है, चाहे वह नेशनल हाई-वे हो या एक्सप्रेस-वे बने या स्टेट हाई-वे बने या कोई सड़क बनती है तो उसमें भी हम अगर नई सड़क का निर्माण करते हैं तो उस परिस्थिति में यह देखा जाता है कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि गाँव एक तरफ है और उस गाँव के लोगों का खेत दूसरी तरफ है। लोग अपनी खेती करने के लिए आखिरकार उस सड़क को क्रॉस तो करेगा । वैसी परिस्थिति में खेती के लिए वह जायेगा तो खेती के लिए जो और कुछ उसको यंत्र की जरूरत है जो ले जानी है, उसको ले जायेंगे, जो उपकरण ले जाना है तो वह ले जायेंगे। बहुत लोग इसके लिए अपने पशुओं का प्रयोग करते हैं उसको ले जायेंगे । ऐसी परिस्थिति में यह भी लोगों के लिए जटिल कारण होता है । हमें यह भी देखना पड़ेगा

कि एक तो जब हम ब्लैक स्पॉट का चयन कर रहे हैं तो आज जितनी सड़कें बनी हुई हैं उसमें हमें और क्या करना चाहिये उसके स्ट्रक्चर में सुधार के बारे में । स्ट्रक्चर के सुधार में है कि हमें अंडर-पास और बनाना पड़ सकता है, हम अंडर-पास और बनायें । अगर इसके लिए हम फुट ओवरब्रीज बना सकते हैं तो फुट ओवरब्रीज बनायें और फुट ओवरब्रीज का भी डिजाइन ऐसा हो कि कोई विकलांग व्यक्ति को भी उसपर जाने में सहूलियत हो । लोग छोटे-मोटे अपने उपकरणों को ले जाना चाहते हों तो उसको भी ले जा सकेंगे । अपने पशुओं को भी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसको भी ले जा सकें । इस तरह से उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना पड़ेगा । वर्त्तमान में जो सड़कें है और उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ आबादी है और लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का सिलसिला है और जो कि स्वाभाविक है, तो उन जगहों के बारे में भी हमको आइडेंटिफाइ करना पड़ेगा और इसके अलावे जो नये ग्रीन फील्ड हाईवेज बने उसमें हमको शुरू से ही उस प्रोजेक्ट का अंग बनाना चाहिए कि कितने अंडरपास कहाँ बन सकते हैं, कितने फुट ओवरब्रीज बन सकते हैं । इन सब चीजों को उस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा बनाना चाहिये । यानी एक तो कानूनी प्रावधान, दूसरा, संरचना - जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और तीसरी चीज है एवेयरनेस-जागृति, उसकी भी बहुत सख्त जरूरत है । जागृति की भी बहुत ज्यादा जरूरत है । यानी कोई गाड़ी चला रहा है तो जिस प्रकार से उसके मन में जागृति होनी चाहिये कि हमें किस प्रकार से गाड़ी चलानी चाहिये। हमें एक चीज अबतक याद है, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और स्टडी टूर के लिए हमलोगों के बैच के सब लोग गये थे और उस समय तो बम्बई था अब मुम्बई कहलाता है, वहाँ जो जेब्रा लाईन था एक, हमलोग कई लोग एक साथ 10-15 छात्र थे, हमलोग जेब्रा लाईन से क्रॉस करके आगे गये, हमलोगों के एक मित्र ने सोचा कि जेब्रा लाईन है तो वह धीमे-धीमे चल रहा था, हमलोग कह रहे थे कि तेजी से चलो, इस बीच में दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, उसने अपनी स्पीड को कम नहीं किया, यह बात हम बता रहे हैं कब की, 1971 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसको एक तरह से जम्प करके इधर आना पड़ा । यह बात बचपन से, कम आयु से ही मेरे मन में आई है कि अपने यहाँ की मानसिकता विचित्र है, अगर जेब्रा लाईन बना भी दीजिये तो यहाँ पर यह कांससनेस नहीं है कि जेब्रा लाईन पर लोग एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो उस समय जो वाहन चालक हैं, उनको इतना कांसस रहना चाहिये कि हमें अपनी गाड़ी को धीमे करना है और जेब्रा लाईन कोई क्रॉस कर रहा है तो पूरी तरह से क्रॉस कर ले और तब हम गाड़ी को आगे बढ़ायें, यह सब भी एवेयरनेस की कमी है । मैं तो उस समय की बात कहता हूँ, मेरा अपना अनुभव है। अभी जो यह दुर्घटना हुई उस दिन, ये सारी चीजें मेरे मन में पूरे रात में भी, हर समय हमारे मन में यह बात आती रही तो हमने जो मीटिंग बुलाई उसमें यह भी कहा कि एक एवेयरनेस

की भी जरूरत है और जो हमारे कानूनी प्रावधान हैं, चाहे वह लाइसेंस देने के लिए हो या वाहन के चालक के रूप में हो या जिस प्रकार से भी हो । तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर – जो संरचना है उसमें इस तरह का प्रावधान होना चाहिये । हमें सोचना पड़ेगा । घटना घटती है, स्वाभाविक है कि इसको लेकर विरोध होता है, लोग अपने दुख का, गुस्से का इजहार करते हैं, सब स्वाभाविक चीज है । इसको कोई नहीं रोक सकता है । यह स्वाभाविक है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद तो पकड़ा ही जायेगा, कोई भागकर कहाँ जायेगा, कितने दिन तक जायेगा ? आज तक का उठाकर देख लीजिये कितने केसेज में कोई कितनी जगह पर भागकर गया, अंत में तो जाता ही है । लेकिन उसका ट्रायल होगा, सजा मिलेगी और हमने जिसका जिक्र किया, आखिरकार कितने दिन तक की सजा मिल सकती है ? इसलिये कानूनी प्रावधान में भी कुछ और सोचना पड़ेगा और सड़क सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई हो रही है, उसपर भी पूरी मुस्तैदी के साथ अमल हो और बिहार में इसके अलावे भी हम सोचें ।

मैं आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, सब जन–प्रतिनिधि ही नहीं हैं, आप सब जन–नेता हैं । लोगों को रीप्रजेंट करते हैं और जब अपने–अपने क्षेत्र में जाते हैं या अपने पार्टी के काम से दूसरी जगहों पर जाते हैं या जिस किसी भी काम से जाते हैं तो आपका एक संवाद कायम होता है लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसी चीज है कि जिसपर सोचना चाहिये और कांससनेस के लिए भी हमलोगों को प्रयास करना होगा, चाहे वह पैदल चल रहा हो या गाड़ी चला रहा हो । इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इसके अलावे और जो कुछ भी किया जा सकता है, हमने एक कमिटी का गठन किया है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमिटी, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, परिवहन, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सचिव सह विधि परामर्शी, विधि विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं अनुसंधान विभाग सदस्य हैं । इस कमिटी को हमने यह जिम्मेवारी सौंपी है कि सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले में और जो कुछ भी करना है इसका पूरे तौर पर अध्ययन करके जरूरत पड़े तो सर्वे करिये, एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिये, एक–एक चीज को देख लीजिये और उसके बारे में भी जो करना है वह करिये और जितने भी काम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व से निर्धारित हैं उस सबों को मोनिटर करिये ताकि जल्दी से जल्दी हो सके और शायद यह मेरे मन में बात आई कि इसको हम अगर पूरी मुस्तैदी से करेंगे तो सम्भव है कि कुछ न कुछ इसमें परिवर्त्तन आयेगा और वह पोजिटीव होगा । इसलिये हम आप सभी माननीय सदस्यों से, सबसे आग्रह करेंगे कि इस चीज पर जो एक ऐसा विषय है, यह कोई विवाद का विषय नहीं है, हम सब लोगों के मन में यह एक संवेदनशील मामला है, सब लोग सोचें और क्या–क्या किया जाना चाहिये और उसको लेकर जो भी कानून बनना है, फिर तो सदन

में ही लाना है और जल्दी से जल्दी लाना है । तो इन सारी चीजों को करना, यह एक चीज है । यह बात ठीक है कि शराबबंदी के कारण दुर्घटना में कमी आई लेकिन फिर भी अन्य कारणों से भी होगा । कुल मिलाकर इन सारे विषयों पर हम सबलोगों को सोचना चाहिये और हमने यह सोचा कि मैं इसको शेयर करूं और इस बात को मैं रखूं। इसलिये हमने यह बात कही है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपने जो बात कही, ठीक कहा मुख्यमंत्री जी । लेकिन जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक साधारण रोड एक्सीडेंट के तौर पर आपने उसको ट्वीस्ट कर दिया है । यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है महोदय, 32 लोगों को कुचला गया है और....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम इतना बता गये इसके बाद भी समझ में बात नहीं आई ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे.....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हाईट है - हाईट है । कैसे समझ गये ? (व्यवधान) इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिये, इसको हम ट्वीस्ट करने वाले हैं ? यही इतने दिनों में हमको जाने हैं ? लोग जानते हैं । ट्वीस्ट कर रहे हैं ? आपलोगों की तरह हम दो मिनट में ट्वीट करना और बिना मतलब के अखबार में बयान देना, यह मेरी आदत नहीं है । यह बयानबाजी के लिए बिहार की जनता ने हमको मैनडेट नहीं दिया है, बिहार की जनता ने काम करने के लिए मैनडेट दिया है । हम उसमें यकीन नहीं करते हैं कि अन-नेसेसरी..... दो मिनट में बोलिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये न ! सरकार का उत्तर सुन लीजिये । आप बोल रहे थे उस समय हम किसी को नहीं बोलने दे रहे थे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : क्यों नहीं सरकार खर्चा देने को तैयार है?

(व्यवधान)

टर्न-10/आजाद/28.02.2018

अध्यक्ष : नेता,प्रतिपक्ष आप बैठ जाईए । आप बोल रहे थे तो हम सारे लोगों को शांत करा रहे थे ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, हम आग्रह करेंगे, हमने शुरू में ही कहा कि किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक है, मैं कहां उन चीजों पर एतराज कर रहा हूँ । लेकिन प्रश्न यह है कि प्रतिक्रिया तो व्यक्त बहुत हो गई लेकिन यह शेयर करना और आगे क्या किया जा सकता है, इसपर अगर सबलोग नहीं सोचियेगा तो मैं नहीं समझता

हूँ कि इस समस्या का हल निकलेगा । इसलिए हमने पूरी संवेदना के साथ जो मेरी फीलिंग है, उसको हमने व्यक्त किया और इसके आधार पर जो हम काम कर रहे हैं, उसमें सबका सहयोग चाहिए और अन्त में हमलोगों को अवेयरनेस भी पैदा करना होगा । मैं उन चीजों को शेयर नहीं करना चाहता था, मैं अभी जापान गया था और जिस तरह से वहां हमने देखा कि जेब्रा लाईन पर यदि एक आदमी क्रौस कर रहा है सारे वेहिकल्स तुरंत रूक गये और वह दृश्य हमको याद था और हमको 1971 का दृश्य अपने छात्र जीवन का याद था तो हमने कहा कि अपने यहां क्या अवेयरनेस है, आत्मानुशासन की बड़ी कमी है तो इसलिए हमने इन विषयों को संक्षेप में रखा है और अगर इसपर कमिटी की रिपोर्ट या इस तरह का कोई एमेंडमेंड की बात आयेगी तो मैं तो इस विषय पर सर्वदलीय बैठक भी करना चाहूँगा । इसपर बैठक करके और जो कुछ भी चीजें निकलती है उसके आधार पर हो । दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटना के अलावा एक चीज ....

(व्यवधान)

यही तो कह रहे हैं, आपके मन में भी कोई विचार है तो क्यों नहीं लिखते हैं.....

अध्यक्ष : आप इसके बारे में लिखकर भेज दीजियेगा न, सारे सुझाव आप लिखकर भेज दीजियेगा ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : हमने तो यही कहा, हम तो संक्षेप में बोले हैं, अगर उसको डिटेल्स में बोलने लगेंगे, वह भी कोई जरूरी नहीं है कि इस समय ही एक-एक चीज को कहना । हमने तीन बातों को रखा, आपके जिम्मे तो काम ही था यह .....

श्री चन्द्रिका राय : रोड सिक्यूरिटी फंड बना हुआ है, सारे चीजों पर डिसकसन हो चुका है, इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है, यह बात कहिए न ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : ठीक है, यही तो हम कह दिये । ऐसा है .....

श्री चन्द्रिका राय : रोड शेफ्टी फंड में आज के डेट में 200 करोड़ रू0 से ज्यादा मौजूद है । स्कूल जहां पर अवस्थित है, हाईवे पर नहीं हो, मेन रोड पर नहीं हो, इन सारी चीजों की चर्चा की, मगर इसपर इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसपर कितनी बार डिसकसन कीजियेगा । इसमें सारे चीजों की व्याख्या की गई है .....

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाईए ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : ऐसा है, जितना जोश से अभी आप बोल रहे थे, इतना जोश हम उस समय आपको नहीं देखते थे, क्योंकि यह काम आपके ही जिम्मे था । इतनी सिनसियरिटी में हम आपको नहीं देखते थे ।

अध्यक्ष : चन्द्रिका जी, आप बैठिए न ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : और मैं बता रहा हूँ कि जो काम हो रहा है, लगता है आप गौर से नहीं सुने । जो काम हो रहा है, नेशनल लेवल पर जो तय किया गया है और जो हो रहा है, वह तो सही है लेकिन उसके अलावे मैं बार-बार कह रहा हूँ बिहार में और कुछ करना होगा । आबादी का घनत्व, अवेरयनेस की कमी, इसको ध्यान में रखते हुए और कुछ करना होगा, उसके लिए हम चाहते हैं कि सबलोग सोचिए और मिल-जुलकर के इसपर काम कीजिए ।

श्री तेजस्वी प्र0यादव,नेता विरोधी दल : चार साल में चार सरकार बदलियेगा तो काम क्या होगा ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : 20 महीना काम करने का अवसर मिला न । देखिए, हम उन चीजों पर अकारण कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इन चीजों पर बोलने का और भी फोरम है । आज तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो भी पॉलिसी है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी काम है, उसके आधार पर सरकार को स्पष्ट तौर पर लोगों को जानकारी देनी होती है । इस चीज पर कहते हैं, ऐसा कोई डिवेट हो तो उसपर डिवेट कर लीजिए, लेकिन उतना समय के लिए धैर्य भी होना चाहिए कि जब कोई बोले तो दूसरा आदमी गौर से सुने, यह भी होना चाहिए । किसी की बात को सुनें और जवाब नहीं सुनिए तो यह ठीक नहीं है । लेकिन अभी छोड़िए ।

अब अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था जो किसी भी राज्य सरकार का सबसे बुनियादी और मौलिक काम है । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून का राज स्थापित किया गया और यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है । हमारे द्वारा अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक नियमित रूप से होती है । हम उसकी समीक्षा भी करते हैं और उसकी मोनेटेरिंग करवाते हैं । 28 दिसम्बर, 2015 को, 11-12 फरवरी, 2016 को, 21 सितम्बर, 2017 को, 21 दिसम्बर, 2017 को, 3 जनवरी, 2018 को जितनी बार समीक्षात्मक बैठकें हुई हैं, एक-एक विषय पर हमने गंभीरता से विचार किया है । एक बात जान लीजिए, अब तक जितना होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्राईम का रिव्यू हो रहा था, हमने इसके बारे में पहले भी कहा था लेकिन इस बार हमने इसके बारे में कहा कि सबसे पहले आप थानावाईज क्राईम का रिपोर्ट सामने लाईए और थानावाईज ही नहीं, उस थाने के अन्दर किस गांव में, किस इलाके में किस प्रकार के क्राईम हो रहे हैं और एक साल का भी उसको एनालाईज कीजिए बल्कि आप सिर्फ एक साल का एनालाईज मत करिए, इसके पहले के 10 वर्षों का जो भी क्राईम फिगर है, उसको लेकर के दोनों को मिलाईए और देखिए कि किस इलाके में कौन सी अपराधिक घटना घट रही है और एक-एक अपराधिक घटना के बारे में, चाहे वह हत्या हो, डकैती हो, लूट हो या किसी प्रकार की घटना हो, चोरी हो, हर चीज के बारे में जैसे महिला पर कोई अत्याचार हो, इन सब चीजों के बारे में और उसका नतीजा यह हुआ कि हमने दिशा निर्देश दिया । जो अपराध अनुसंधान विभाग है, उसके द्वारा

अब इस काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है और थानावार समीक्षा हमने एक-एक चीज को सामने रखकर, स्क्रीन पर हमने कहा कि इसकी आप मैपिंग करके बताईए और इसको लेकर के अब क्राईम का और ज्यादा उसकी समीक्षा उतने गहरे स्तर पर और माइक्रो लेवल पर करने के बारे में हमने शुरू करा दिया है और इसके बाद जो पुलिस बल को मजबूत करने के लिए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाना, उनके लिए और जो संसाधन मुहैय्या कराना है, जो कुछ भी करना है, यह भी करना, इन सब चीजों के लिए लगातार नियंत्रित हो रहा है और काम किया जा रहा है । इसके बाद अभी आपको मालूम होगा कि अपराधकर्मियों के त्वरित विचारण जिलास्तर पर दोष सिद्धि में गुणात्मक सुधार हेतु 17 दिसम्बर,2017 को न्यायिक पदाधिकारी, अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के साथ संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया । अगर क्राईम हुआ, आपका हो गया, चार्जशीट भी फाईल हो गया, उसका ट्रायल होना चाहिए, समय पर ट्रायल में गवाह की उपस्थिति होनी चाहिए आदि-आदि । जो भी उससे संबंधित मसले हैं, इन सब चीजों के बारे में बिन्दुवार उस कार्यशाला की समीक्षा हुई । जिसमें जुडिशियल साईड से, पुलिस साईड से, एडमिनिस्ट्रेशन साईड से और जो हमारे पब्लिक प्रोसीक्यूसन साईड से सब लोगों ने बैठ करके उस कार्यशाला में हिस्सा लिया और इसपर फिर से त्वरित कार्रवाई के लिए विचार मंथन हुआ है और उसके लिए आपसी समन्वय भी होना चाहिए अधिकारियों के बीच में । इन सब चीजों पर कार्रवाई हो रही है ताकि अपराध नियंत्रण में रहे और जब भी कोई अपराध होता है तो उसपर जो कानूनी कार्रवाई है, समय सीमा के अन्तर्गत पूरी कार्रवाई हो । इन सब चीजों को लेकर और इसके अलावे जो शराबबंदी, शराबबंदी की बात करते हैं भईया, आप ही लोग थे तब हम शराबबंदी लागू किये थे । शराबबंदी लागू कर दिया भाई, हमने तो 9 जुलाई .....

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये, अपनी छवि धूमिल मत करिए, एक बार एक-दूसरे का हाथ पकड़कर शराबबंदी से नशामुक्ति के लिए जाने का संकल्प लेने के लिए अपने भावना का प्रकटीकरण करने के लिए मानव श्रृखंला का अंग बने और उसके बाद उसका मजाक उड़ाईयेगा तो अपने आप आपका आचरण हास्यापद साबित हो जायेगा । यह काम मत करिए । मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जब 9 जुलाई 2015 में जब महिलाओं ने आवाज उठायी .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्यों सब आदमी खड़े हो जाते हैं बिना मतलब ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : देखिए 9 जुलाई, 2015 को नारी सशक्तिकरण पर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सम्मेलन था और उसमें हम अपनी बात कहकर बैठे थे । तभी तीन-चार महिलाओं ने पीछे से आवाज लगायी शराबबंदी लागू करिए .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप उतनी देर बोले और बोलने का मन है क्या, तो क्यों बीच में बोलते हैं ?

टर्न-11/अंजनी/दि0 28.2.18

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम तो आपकी बात बड़ा धैर्य से सुन रहे थे तो इतना क्यों अधीर हो रहे हैं और बोलने के लिए ? पार्टी तो आपको मौका देती है, सब चैनल पर बोलते रहते हैं, इसमें क्यों अभी-भी यहां बोलने के चक्कर में हैं ? कुछ तो ध्यान रखिए । दूसरे को कभी-कभी सुनने का स्वभाव भी तो विकसित कीजिए ।

(व्यवधान)

लोगों को बहुत ही मोबिलाइज करना पड़ा था उस समय, ध्यान में है, इसलिए वह बात अलग है । सबसे बड़ी बात है, एक बात भूलिए मत, जब इसी सदन में हमलोगों ने लाया एमेंडमेंट का, एक्जीसटिंग जो लॉ था उसमें तो इसी सदन में सब लोगों ने खड़े होकर शपथ लिया था, यह अपने-आप में कोई मामूली बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई । एक मात्र गिरफ्तारी हुई थी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यह सब आपलोगों को भ्रम है । आप लोग हर सूरत-ए-हाल में अब सीधे-सीधे बैक-आउट कर रहे हैं । पहले जो मेरे कारण आप लोगों को शराबबंदी का समर्थन करना पड़ा, आज आपको लग रहा है कि बेकार का समर्थन किये, इसलिए आप लोग बैक-आउट कर रहे हैं । यह ठीक बात नहीं है । बैक-आउट मत कीजिए । अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि अब शराबबंदी एक ऐसी चीज है, जिससे कोई समझौता होगा नहीं । किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और अब आप जान लीजिए, मैं प्रारंभ से कहता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं, हर आदमी एक तरह का नहीं होता है । आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ-न-कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होंगे । आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता इस बात की है...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: हम पूरे प्रूफ के साथ दिखाने जा रहे हैं, फोटो है।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यह सब चीज दिखाना चाहिए ताकि तत्काल ऐक्शन हो जाय । इसको छिपाकर क्यों रखे हुए हैं ? अगर किसी का फोटो आप देखे हुए हैं, आपके पास

फोटो है, उसको तुरंत एक्सपोज करना चाहिए । एक मिनट में ऐक्शन होगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति होगा । आप निश्चिंत रहिए ।

(व्यवधान)

अभी आप सुन लीजिए न । बात जो कहने जा रहे हैं उसको सुनिए । अब हो गया न, इतना देर बोल लिए । अभी दूसरी बात हम कह रहे हैं, अब जो कुछ भी हो रहा है, उसकी समीक्षा, सामाजिक अभियान चलाना यह सब तो चलता रहेगा लेकिन अभी हमलोगों ने तय किया है कि अब इसको और सख्ती से लागू करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए सी0आई0डी0 के अंतर्गत हमने ए0डी0जी0 या आई0जी0 (प्रोहिविसन) का तंत्र विकसित किया है और इसके लिए अलग से सारा पुलिस बल और अधिकारियों की टीम तैयार की गयी है और इसके अलावे टेकनॉलोजी के माध्यम से उनकी मदद भी की जायेगी और अभी तक जो हमारा मद्य निषेध विभाग है उसका एक नम्बर है । पुलिस का भी नम्बर है, दो-तीन नम्बर हरेक गांव में जो बिजली के खम्भे हैं, उस पर लिखवाया गया है लेकिन अब जो नया तंत्र विकसित किया जा रहा है, इस तंत्र में सिर्फ एक नम्बर होगा और कोई भी व्यक्ति अगर उसको यह पता चलता है कि यहां गड़बड़ी हो रही है, वह फोन करेगा । आज मोबाइल की तो कमी है नहीं, 12 करोड़ की भी आबादी मुश्किल से अभी पूरी नहीं हुई होगी लेकिन साढ़े आठ करोड़ मोबाइल है तो मोबाइल की कोई कमी नहीं है । फोन है, अपने फोन पर उस नम्बर पर आप डायल करके सूचना दे दीजिए और जो भी फोन करके सूचना देगा, उसको गुप्त रखा जायेगा, उसके नाम को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जायेगा । (व्यवधान) पूरी बात सुनिए तो पूरी बात सुन तो लीजिए, नहीं तो इस चीज को समझ भी नहीं पाइयेगा। एक फोन नम्बर पर वह जब फोन करेगा, पूरे बिहार में एक ही जगह वह फोन जायेगा एक ही नम्बर पर और तत्काल वह रेकर्डेड होगा और उसके आधार पर घंटा से-डेढ़ घंटा के अन्दर पुलिस या एक्साइज जिसकी भी टीम को पहुंचना है, वह एक से डेढ़ घंटा के अन्दर उस स्पॉट पर पहुंचकर, जो कार्रवाई करना होगा, वह कार्रवाई करेगा । इसके बारे में फोन करनेवाले को भी इसकी सूचना दे दी जायेगी और इस तरह से इसका मोनेटरिंग होगा, इतना सख्त मोनेटरिंग होगा कि आप समझ लीजिए कि फोन पर क्या बोले और वह जाकर क्या कर रहा है कार्रवाई, यह सारी चीजें रेकर्डेड होंगी । ऐसा न हो कि उसको जो बताया गया उसके अनुरूप वह कार्रवाई नहीं कर रहा है तो यह भी एक-एक चीज रेकर्डेड होगी । आई0जी0 या ए0डी0जी0 (प्रोहिविसन) को पूरा-का-पूरा यह अधिकार दिया जा रहा है सी0आई0डी0 के अंतर्गत और इससे रिलेटेड कोई भी मामले अगर ई0ओ0यू0 को छोड़ दीजिए, इकॉनोमिक ऑफेन्स विंग के मामले को, बाकी किसी भी मामले को अगर वह दर्ज हुआ है तो वह उस मामले के अनुसंधान का काम अपने हाथ में ले सकता है और इस प्रकार से एक ऐसा तंत्र विकसित किया जा रहा है ।

इसकी जो टेकनॉलोजी है, उसपर काम हो रहा है और उस टेकनॉलोजी के बारे में मुझको बताया गया है कि कल तक वह तैयार हो जायेगा । हमने फिर से कहा है कि आप 15 दिन कम-से-कम ट्रायल कर लीजिए, ऐसा न हो कि हम उसको एडोप्ट कर लें और बीच में उसमें कोई खामी रह जाय । उस तरह का कोई झंझट नहीं रहेगा, आप चिंता मत कीजिए ।

(व्यवधान)

जी0एस0टी0 - आपकी जब सरकार थी, तब भी हम स्पोर्ट किये थे, यह आपको पता नहीं है । जी0एस0टी0-जी0एस0टी0 । सब चीज का अन्तर था । जी0एस0टी0 का सपोर्ट किये थे तो आप साथ में नहीं थे ? काहे इस सब चीज को मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा अनेक हैं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप सात महीने का हिसाब बताइए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यह तो आपको बता रहे हैं । अभी तो आपको बता रहे हैं, यह भी आप समझ नहीं रहे हैं तो हम क्या करें ? हम कितना आपको समझायें । समझाने की कोशिश तो किये थे, थोड़ा बहुत शुरू में समझ रहे थे, बाद में समझने से मना कर दिये। हम अभी तक तो समझा ही रहे हैं । अभी जो बता रहे हैं कि आई0जी0(प्रोहिविशन) का जो तंत्र विकसित किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा तंत्र है, वह अपने आपमें इस देश में यूनिक होगा और इधर-उधर करने वाले लोग निकल कर नहीं जा पायेंगे । इसलिए हम टेकनॉलोजी के बारे में भी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि थोड़ा भी उसमें कोई भी डिफेक्ट न रह जाय, कोई भी कमजोरी न रह जाय, वह स्लिप नहीं करे, इसलिए 15 दिन का टाईम और दिये हैं कि आप उसको पूरे तौर पर कर लीजिए, उसको लागू करेंगे और इस मामले में, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि इसके बारे में चाहे कुछ लोग कितना भी दुष्प्रचार कर लें और कुछ लोग शराब के सेवन को अपनी लिबर्टी से जोड़कर देखते हैं । वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह कोई लिबर्टी का हिस्सा नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है शराब पीना या शराब का व्यवसाय करना और इसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं, अनेक फैसले दे दिये हैं । इसलिए यह सब संभव नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जिनकी यही आदत हो गयी है । यह कोई मामूली काम नहीं है सोशल रिफोर्म का । इसमें घबराने से काम नहीं चलता है । इसके लिए पूरी मजबूती से लागू करना पड़ता है और इक्का-दुक्का अपराधी, जरा नाम बताइए तो । आई0पी0सी0 कब से बना हुआ है 302 में मर्डर केस में, तब भी क्या कानून बन गया तो मर्डर रूक गया ? कम हुआ लेकिन फिर भी घटना घटती है । सजा पायेगा तो इस तरह से आप कोई भी काम कीजिए, मनोवृत्ति होती है बहुतों की अपराध की, मनोवृत्ति होती है गंदी, वैसे कुछ लोग गड़बड़ करेंगे

लेकिन सवाल यह है कि सरकारी तंत्र के सहारे गड़बड़ करने वाले बच नहीं जायें, इसका उपाय हम कर रहे हैं ।

क्रमशः....

टर्न–12/शंभु/28.02.18

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः.....इतने तरह की बात कर रहे हैं । अब एक–एक चीज इतना ट्रांसपेरेन्ट हो जायेगा, इतना पारदर्शी हो जायेगा कि हम यह अगला कदम भी उठा रहे हैं। अब इसके अलावे एक बात हम और बता देते हैं कि सबके उत्तरदायित्व की जिम्मेवारी पुलिस में दी गयी है । अब यही नहीं जिसके बारे में हमने कह दिया आपको कि थाना भी और थाना के अंदर गांव और इलाके का भी पूरे तौर पर उसकी मोनेटरिंग हो और उसके बारे में उसका पूरा विश्लेषण करके उसपर जरूरी और कानूनी कार्रवाई हो । कोई जरूरी है कि कहीं पर कोई क्राइम गलत किस्म का हो रहा है तो हमें सोशल अवेयरनेस के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा उस इलाके में, अगर हम उसके बारे में जान जायेंगे और एस0पी0 के ऊपर और जिम्मेवारी बढ़ेगी । आज एस0पी0 को अधिकार दिया गया है कि अपने थाने के थानेदार को जब चाहे यहां से वहां ट्रांसफर कर दे । अब हमलोगों ने उसके लिए भी रूल बनाया है कि सरटेन नियमों के अन्तर्गत ही आप ट्रांसफर वगैरह किया कीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि एस0पी0 साहब हैं और पता चलेगा कि उसको यहां से वहां कर देगा । यह भी एस0पी0 को अधिकार जरूर है लेकिन वह भी एक नियम के अन्तर्गत थानों के अन्तर्गत ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा । यही नहीं अनेक प्रकार के काम किये जा रहे हैं । अब जो हमलोगों का पुलिस एक्ट बना 2007 में और बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ कि साहब हर थाने में लॉ ऐंड आर्डर को मेनटेन करना और अनुसंधान करना, इन्वेस्टीगेट करना, क्राइम का इन्वेस्टीगेशन और लॉ ऐंड आर्डर इसको दो हिस्से में और जितने भी थाने में लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बांटनी चाहिए, अगर कोई आई0ओ0 का काम करेगा, इन्वेस्टीगेटिंग औफिसर का काम करेगा कोई सब–इन्सपेक्टर तो वही काम करेगा । कोई लॉ ऐंड आर्डर को डील करता है तो उसको उसी में लगाना होगा, ऐसा घचपच नहीं होगा कि लॉ ऐंड आर्डर वाला इन्वेस्टीगेशन में आ जाय और इन्वेस्टीगेशन वाला लॉ ऐंड आर्डर में आ जाय । बहुत सारे थानों में हुआ है । हमने समीक्षा की और पाया कि अभी सभी थानों में नहीं और पद के सृजन की जरूरत है, हमने कहा तत्काल कीजिए और यह पूरे बिहार में यह पूरी सख्ती के साथ लागू हो रहा है । पिछले कुछ महीनों में और सारी, बहुत सारी बातें हो रही है और यह निरंतर चलनेवाली बात है । जब से हमने काम शुरू किया है 2005 के नवम्बर से तब से हम निरंतर ऐसे तमाम चीजों पर कानून का राज कायम हुआ है और उसके साथ कोई समझौता नहीं हुआ है । अपराध की किसी घटना को लेकर चाहे आप जितना वक्तव्य देना हो दे दें, पूरा अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको काम करना है और उसको देखना पड़ता है कि अपराध नियंत्रण के लिए और ठोस क्या कार्रवाई हो रही है ? कहां क्या कमी है ? उसको हम पूरे तौर पर लागू

करें । इसलिए दूसरी बात हमारी तरफ से यही है कि किसी भी कीमत पर हमलोग अपराध नियंत्रण के मामले में और कानून का राज कायम करने में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इसको पूरे तौर पर करते रहेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मुख्यमंत्री जी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए.....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अरे चलिये न भाई यहां थे तो एक दिन भी नहीं बोलते थे । सबसे बड़ा विभाग फायनेंस मिला हुआ था और फाइनेंस डिपार्टमेंट के काम में भी रूचि नहीं रखते थे आप । कॉमर्शियल टैक्स नहीं था इसलिए चिंतित थे । अब सुनिए । अब दूसरी बात, अरे बोलना चाहिए था न भाई ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : शराबबन्दी के लिए पूरा सदन संकल्पित है और आप जानते हैं कि शराब यहां कहां से आ रही है- हरियाणा से, यू0पी0 से, झारखण्ड से, नेपाल से तो आप जिनको पुराने दोस्त को फिर से नया दोस्त बनाया है तो उनको भी मोबलाईज कीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अरे आपका समर्थन है न पूरा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : पूरे सदन का समर्थन है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : चलिए अब आगे आइये और भी हम कुछ बात शेयर करना चाहते हैं जरा गौर कीजिए । जितना बीच-बीच में बोलना हो, बाहर बोलना है बोलिये , लेकिन कुछ बात पर गौर जरूर कीजिएगा । दो प्वाइंट हमने कहा है, तीसरी बात आज जो हम देखते हैं । अरे सुन लीजिए न । नहीं सुनियेगा तो फिर हमारे बोलने का क्या मतलब है ? सुनिये तो सही। हम एक तीसरी बात आपको बता रहे हैं, दो बात के बाद तीसरी बात और वह यह है कि पूरे बिहार में जो हम देखते हैं कि कितने विवाद हो रहे हैं, किस चीज को लेकर विवाद हो रहे हैं तो इसपर हम गहन तौर पर देखते रहे हैं प्रारंभ से । जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जब हमने शुरू किया उस समय से लेकर जब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 में इस सदन ने पारित किया और जब उसको 5 जून, 2016 से लागू किया, उसके बाद उसकी निश्चय यात्रा में भी समीक्षा, अन्य प्रकार से भी समीक्षा की । हमने यह देखा है कि पूरे बिहार में या क्राइम फीगर्स जब हम देखते हैं कि और क्या कारण है इस झगड़े का तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा झगड़े का कारण है भूमि विवाद और भूमि विवाद के कारण ही सबसे ज्यादा क्राइम होता है । अब जान लीजिए, जमीन के बारे में लोगों का क्या है? एक सेंस ऑफ पोजिशन है, अगर कोई एक लाख रूपया किसी का पचा जाय तो विवाद करेगा, झगड़ा कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं सोचता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी का एक बित्ता जमीन भी कब्जा कर ले तो उसके अंदर ऐसी भावना होती है कि वह अंत तक मर्डर तक बात चली जाती है । एक सेंस ऑफ पोजिशन है जमीन को लेकर इसलिए प्रारंभ से ही हमने इस विषय पर ध्यान दिया है कि भाई भूमि विवाद के निराकरण का उपाय किया जाय । भूमि विवाद निराकरण कानून भी बनाया, डी0सी0एल0आर0 को पावर दिया कि जो चीज ज्यूडिशियरी में है उसको छोड़कर के बाकी

विवादों का निराकरण हो सके यह सब करने की कोशिश की और उसी समय हमलोगों ने तय किया कि भाई हमारे यहां जो रेकार्ड्स हैं वे पुराने हैं । हमारा जो भू-सर्वेक्षण है वह सौ साल से भी ज्यादा पुराना है तो इसलिए हमलोगों ने कानून बनाया है । नये सिरे से भूमि का सर्वेक्षण हो और सेटलमेंट हो । यह नया कानून बनाया और उस समय हमलोगों के सामने एक बात आयी कि हम एरियल सर्वे करके भी बहुत जल्दी जमीन का सर्वेक्षण कर सकते हैं और उसके बाद ग्राउंड लेवेल पर उसका मिलान करा सकते हैं । यह जब काम किया । हम तो काफी सोच करके कि इससे जल्दी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि साहब जो हमलोगों ने हवाई सर्वेक्षण के बारे में सोचा उसके लिए प्रारंभ जब किया तो पता चला कि हवाई सर्वेक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, स्थानीय एयर ट्राफिक कंट्रोल एवं कस्टम विभाग से सहमति एवं अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है । इस पूरे काम में तीन साल का समय लग गया और इसके बाद अब एरियल सर्वे शुरू हुआ है । अब 37 जिले का एरियल सर्वे पूरा हो गया है, सिर्फ एक जिले में अधूरा है, अभी वह पूरा नहीं हो पाया है वह भी हो जायेगा, सिर्फ मधुबनी में यह कार्य आंशिक रूप से हुआ, वहां भी यह पूरा हो जायेगा । वह सब, आप ठीक ही कह रहे हैं यह तो है ही । हमलोगों के इसी में सब है शामिल । अब 37 जिले में विशेष सर्वेक्षण हो गया है और वर्तमान में राज्य के 31 जिले के लिए मानचित्र तैयार करने की अनुमति प्राप्त हो गयी । अब तक 8072 राजस्व ग्रामों का मानचित्र प्राप्त हो चुका है, चरणबद्ध रूप से 13 जिलों का कार्य जमीन पर भू-सर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है और इन जिलों में भू मानचित्रों का जमीनी सत्यापन करते हुए अब तक 1597 राजस्व ग्रामों का सत्यापन 859 राजस्व ग्रामों की खानापूरी, 260 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन और 2 राजस्व ग्रामों के खतियान का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है । हमलोगों का लक्ष्य 13 जिला जो चल रहा है इसका 2020 तक और सारे जिलों का सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का कार्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है । अगर यह जिस दिन काम पूरा हो जायेगा लैंड रेकार्ड्स अपडेट हो जायेंगे और विवाद की घटनाएं कम होने लगेंगी । इसपर काम कर रहे हैं, प्रारंभ से काम कर रहे हैं, बीच में काफी कठिनाइयां आई जिसका हमने जिक्र किया कि इतने जगहों से आपको परमिशन लेना है, कुल लेते हुए अब यह काम चल रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ चल रहा है । अब तो यह काम है तो 13 जिला का तो 2020 तक हो जायेगा, लेकिन पूरे बिहार का होते हुए 2022 का लक्ष्य है कि तब तक यह अपडेट हो जायेगा । सर्वे और सेटलमेंट का काम पूरा हो जायेगा और तब इसके बाद हमलोग कन्सोलीडेशन पर जायेंगे ताकि गांव में टुकड़े-टुकड़े में जमीन बटा हुआ है तो उसमें और समय लगेगा वह आगे की चीज है, लेकिन अभी जमीन के दस्तावेज अद्यतन हो जायेंगे, विवाद घट जायेगा , इस दिशा में भी हमलोग काम कर रहे हैं । अब यही नहीं जो पुराने हमारे पास हैं

क्रमशः

टर्न–13/28.02.2018/अशोक

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ...क्रमशः ... जितने भी हैं दस्तावेज उसको ध्यान में रखते हुये अब भूमि विवाद कम हो, अभी जितना भी है, जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम राज्य में लागू है, इसके अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 30 योजना कार्यक्रम सेवाओं पर शिकायतों के निवारण का प्रावधान है । इस अधिनियम के क्रियान्वयन के क्रम में यह अनुभव हुआ कि भूमि विवादों को कम करने तथा भूमि संबंधी सेवाओं को सुलभ कराने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्कता है । इसलिए अब जान लीजिये 42 अंचल में, राज्य के, (व्यवधान) अरे भाई...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष : घोटाले क्यों हो रहे हैं, किसके वजह से हो रहे हैं .....

अध्यक्ष : सुनिये न, अभी तो बोल ही रहे हैं । अभी तो बोल ही रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : कुछ तो भाई सीखने की थोड़ी कोशिश करिये, आप क्या समझाइयेगा, आपके लीडर यही हैं । हम आपको बता दें कि 42 शहरी अंचलों में, 42 शहरी अंचलों में ऑन लाईन दाखिल खारिज प्रारम्भ किया गया है, अब लगता है भाई, जमीन की गड़बड़ी का आरोप आपलोगों पर लगा है और जब हम जमीन के सुधार के बारे में बात कर रहे हैं तो .....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन का बहिष्कार किया)

अजब हिसाब है, भाई एक परिवार के, एक परिवार के कारण आप सब लोगों का इम्बरैसमेंट हो रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिये और हम भूमि विवाद सैट्ल करने के लिये जो काम कर रहे हैं, यही बतलाना चाहते हैं, आपको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है । कहां कहां से किस से, किस से जमीन लिखवा लिये यही सब तो बात आ रही है, यही सब तो बात आ रही है । 42 शहरी अंचलों में ऑन लाईन दाखिल खारिज प्रारम्भ किया गया है, इन अंचलों में ऑन लाईन विधि से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया जा रहा है, इस प्रक्रिया से भू–अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता बढ़ी है, अभिलेखों में छेड़–छाड़ की गुंजाईश कम हो गई है, 1 अप्रील, 2018 से पूरे राज्य में ऑन लाईन विधि से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया जाना निर्धारित है । आज 42 शहरी अंचलों में हो रहा है और 1 अप्रील, 2018 से, इसी साल, पूरे बिहार के सभी अंचलों में ऑन लाईन दाखिल खारीज का निष्पादन हो जायेगा । भू–लगान के लिए राजस्व कर्मी को खोजता रहता है आदमी कि पैसा कहां जमा करें, वर्षो तक इंतजार करता रहता है अब प्रावधान किया गया है कि भू–लगान के ऑन लाईन भुगतान हेतु एन.आई.सी. के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा हैं । 1 अप्रील, 2018 से पेमेंट गेट–वे के माध्यम से भू–लगान के ऑन लाईन भुगतान की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी । इससे आम

रैयतों, किसानों को अपना बकाया जानकर कि क्या बकाया हैं यह भी जान जायेंगे और भू-लगान का भुगतान करने में आसानी होगी । आप इसको देख लीजिये इससे कितना फायदा होने वाला है । इसका भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र को भी, किसकी जमीन हैं, कौन जमीन का मालिक है, 1 अप्रील, 2018 से ऑन लाईन निर्गत करने की व्यवस्था प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित है । विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है, 1 अप्रील,2018 । अभी बैठकर पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं ? अरे हम तो यही सब काम करते रहते हैं, अब इन लोगों की तरह तो नहीं हैं कि कुछ लेन देन का चक्कर चलाते रहें । तो सुनता ही नहीं है ये सब, जानना चाहिये, बाकी जो भी काम करिये, इन सब चीजों के बारे, हमारे महेश्वर बाबू देखिये सिनियरमोस्ट आदमी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप बैठे हुये हैं कम से कम, यह कोई मामूली बात थोड़े ही है । रैयत किसानों को राजस्व नक्शा आसानी से उपलब्ध हो, बताइये, सब एम.एल.ए. है, कितना किसान लोग कहता होगा कि नक्शा नहीं भेंटा रहा है, नक्शा नहीं मिल रहा है तो राजस्व नक्शा आसानी से उपलब्ध कराने के उद्येश्य से राज्य के 30 जिलों में, राज्य के बाहर दो स्थानों में, दिल्ली और मुम्बई में भी, आपके लोग दिल्ली में और मुम्बई में भी रह रहे हैं, नक्शा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, आम किसानों को मात्र 150 रूपये के भुगतान पर आसानी से भू-मान चित्र प्राप्त हो रहा है, शेष जिलों में, अभी हमने 30 जिलों की बात की अभी आठ जिला बचा हुआ है । बचे हुये आठ जिलों में 31 मार्च, 2018 तक यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी । किसी को नक्शा चाहिये तो वह भी मिलेगा । और इसके बाद अभिलेखागार का भी निर्माण किया जा रहा है कि जितने हमारे डोकुमेंट्स हैं जमीन से संबंधित, वे सारे डोकुमेंट्स प्रिजर्व रहेंगे । ये सब काम किया जा रहा है। एक तरफ तो नया सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम चल रहा है, 2020 तक 13 जिले में 2022 तक पूरे बिहर में हो जायेगा और बाकी जो आज के जितने दस्तावेज हैं इसको इस प्रकार से किया जा रहा है कि अभी जो खरीद हो रही, बिक्री हो रही, उसमें किसी प्रकार का न हो, एक ही जमीन को कई बार नहीं बेच दें, कई लोग एक ही जमीन को नहीं खरीद ले उससे बच सकें, दाखिल खारिज से लेकर के भू-स्वामित्व तक एक-एक बात लोगों को इसकी सुविधा ऑन लाईन उपलब्ध हो रही हैं, हो जायेगी । 1 अप्रील, 2018 से एक और ऐसी व्यवस्था इतनी मुस्तैदी से लागू हो जा रही है कि भूमि विवाद से संबंधित जितनी घटनायें हैं उनमें कमी आयेगी । कोई कहता है कहना तो बड़ा आसान है, एकाध घटना को लेकर के हंगामा खड़ा कर लीजिये, करने का अधिकार है करते रहिये, मुझे कुछ नहीं कहना । लेकिन मेरी ड्यूटी है आखिर जो ये विवाद होते हैं ये कैसे कमे, कोई गारण्टी तो दे नहीं सकता है कि बिल्कुल विवाद खत्म हो जायेगा, यह तो बड़ा भारी वह कुदरती

चीज है । हर तरह के लोग हैं, विभिन्न मानसिकता के लोग हैं, यह तो दावा नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई स्थिति हो जाय लेकिन हमलोगों का यह कर्त्तव्य बनता है कि किस प्रकार से कैसे कम हो और लोगों को किस तरह से अधिकार सम्पन्न बनाया गया है, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, अध्यक्ष महोदय, सब लोग हैं जनप्रतिनिधि, कहीं किसी गांव के तरफ जाते हैं, वहां तो एप्लीकेशन मिलता ही है शिकायत का, जिस गांव से होकर गुजरते हैं, लौटते हैं तो उस गांव के भी 25 आदमी खड़ा होकर के कागज देता है । इसी से, लोगों को ऐसी नौबत न आये इसके लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बनाया गया और इसको लागू कर दिया गया । मैं क्या कहूं, लोग कहता है कि क्या कर रहे हैं, अरे भाई हम जनता के दरबार में मुख्मंत्री का काम शुरू कर दिया 2006 से और मैं आपको बतलाता हूँ और अब जो उसके बाद हमने देखा कि अब ऐसी व्यवस्था है कि हमारे यहां लोक शिकायत निवारण का काम होना चाहिये, हमारे मन में बात आई, हम कानून बनाये, उस पर अध्ययन किया, 2015 में कानून बना दिया, बन गया सदन के द्वारा, पारित हुआ और 2016 के 5 जून से उसको लागू कर दिया, समीक्षा की भी, इसका जिक्र किया । मैं आपको बतलाता हूँ कि यह कितना लाभकारी साबित हुआ है । 2006 से लेकर 2015 तक 241 जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित हुआ । 241, 2006 से लेकर 2015 तक और इसमें 2 लाख 77 हजार आवेदन प्राप्त हुये जिनमें 2 लाख 23 हजार आवेदन निष्पादित किये गये, किन्तु सभी निष्पादित आवेदनों में आवेदक की संतुष्टि हुई या नहीं हुई यह जानने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, हो तो गया निष्पादन लेकिन वह संतुष्ट है या नहीं, उसकी समस्या का निराकरण हुआ या नहीं हुआ ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं था लेकिन दस साल में 2 लाख 77 हजार आवेदन प्राप्त हुआ और 2 लाख 23 हजार आवेदनों का निष्पादन हुआ । अब उसके बाद जब मेरे दिमाग में कानून बनाने की बात आई, जब इस कानून को लागू किया तो दस साल में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 2 लाख 23 हजार आवेदनों का निष्पादन हुआ जब कि लोक शिकायत निावारण कानून के अन्तर्गत 20 महीना के अवधि में 2 लाख 54 हजार आवेदनों का निष्पादन हुआ । लोग कहता है कि करते क्या हैं अरे भाई करने का कोई आइडिया हो तब तो हम कुछ बतायें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तक आज इस सदन की कार्यावधि विस्तारित की जाती है । माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : तो लोक शिकायत निवारण कानून के अन्तर्गत लोगों को बहुत लाभ हो रहा है और मैं तो इस बारे में हमने समीक्षा की है और हमने अधिकारियों को यह कहा है, खास करके सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आता है, हमने कहा

है कि इसके लिए और कैम्पेन चलाइये। गांव- गांव में जैसे हम सोशल कैम्पेन चलाते हैं, शराबबन्दी के लिए कैम्पेन चलाया, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ कैम्पेन चला रहे हैं, इस तरह से हरएक जिले में जितनी शिकायतों का निष्पादन हुआ है, उन शिकायतों के बारे में जानकारी लेकर के छोटी-छोटी फिल्म बनाकर उस जिले के गांव-गांव में जाकर के, एक घंटा, दो घंटा रूककर इकट्ठा करके लोगों को बताइये कि यह बड़ा भारी अधिकार आपको मिला है । अब इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है । ... क्रमशः...

टर्न-14/ज्योति/28-02-2018

क्रमशः

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अब इधर उधर जाने की जरुरत नहीं है । अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और विभागीय स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है और जिस विभाग से संबंधित शिकायत है, उस विभाग के लोक प्राधिकार को इस काम के लिए जिसको मुकर्रर किया गया है वह और शिकायतकर्ता, दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और समस्या का हल निकाला जाता है, तो इसका और ज्यादा प्रचार होना चाहिए । मैं सभी माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि इस बारे में, इस चीज में और जनजागृति लाने के लिए और इसका प्रचार करना चाहिए । हम आपको बता दें कि इस मामले में अगर लोक प्राधिकार यानी डिपार्टमेंट का वह अधिकारी जिसको जिम्मेवारी थी, समय पर जाने की, अगर वह नहीं गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है । अब तो हमने कह दिया है कि कठोर कार्रवाई करिये, अगर देख लीजिये कि एक आदमी ने दो तीन बार ऐसा कर दिया, तो समय पर हाजिर नहीं हुआ है या काम नहीं कर रहा है, तो नौकरी से बर्खास्त करने का भी होना चाहिए, चूँकि यह तो जो कानूनी प्रावधान है ताकि लोग काम करे । तो इस तरह से हमलोगों ने कानूनी अधिकार दिया है, लोग कहते हैं क्या है ? क्या मतलब है गवर्नेंस का, क्या मतलब है सुशासन का ? सुशासन का मतलब है राज करना ? और रोज दिन भर ट्वीट करना ? रोज दिन भर बयान देना, प्रेस कौंफ्रेंस करना और कुछ कुछ बोलना और बाकी पीछे में जमीन हड़पना - यही है क्या ? सत्ता में आने का मौका मिलता है, लोग कहता है कहाँ चले गए ? अरे हम कहाँ जाते, क्या करते ? आप जरा बताईये अध्यक्ष महोदय, आज लोग बोलते हैं मैन्डेट, मैं यही कहना चाहता हूँ । 2005 के नवम्बर में आने के बाद जो हमलोगों ने रास्ता चुना, न्याय के साथ विकास का उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बीच में अगर 20 महीना आए भी तो हम उसमें कोई कम्प्रमाईज नहीं किए, हमने बढ़ाया है, कैसी सड़कें थीं ? उबड़-खाबड़, आज सड़कों की स्थिति क्या है ? कब शुरुआत हुई? बिजली की स्थिति क्या है, बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे, आज जरा

बताईये, बिजली की स्थिति गांव-गांव पहुंच गयी । यह सब और जो मैन्डेट मिला है, जो 7 निश्चय की बात है, ये तो हमने 7 निश्चय की बात 2015 में की, उसको इन लोगों ने एडौप्ट किया, देखा कि भाई क्या है, हमारे बिना तो काम चलने वाला नहीं है, तो जो कहा सब मान लिया, भले ही उसके क्रियान्वयन में बायें-दांयें जो रहे या इधर उधर करे, आज फिर हम उसको मुस्तैदी से कर रहे हैं और तरह-तरह के लोग रहते हैं, बीच में बिहार में मुखिया जी लोगों को भड़का दिया कुछ लोग, अब जा करके सब ठीक हो गया है, काम हो रहा है, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हमारे सारे माननीय विधायक और सब लोग जानते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या कहता है गली बनवा दीजिये, नाली बनवा दीजिये, यही तो मांग करता है और उसको कहा कि पूरे बिहार में लागू कर दीजिये, चार साल के अंदर लागू हो जायेगा, इसको न कहते हैं काम जी । हम तो काम में लगे हुए हैं और लोग दूसरे कामों में लगे रहते हैं, खैर, मैं इन चीजों में नहीं जाता हूँ, कुछ लोगों को, अरे भाई प्रौपर ट्रेनिंग भी देना चहिए, हम तो कुछ ट्रेंड करने का प्रयास किये लेकिन देखा कि फिर वह बातें बेकार हो जाती हैं, कुछ तो होता नहीं है, हमें कहा गया था कि एक्सप्लेन कर दीजिये, तो एक्सप्लेन भी नहीं करियेगा, तो हम एक्सप्लेन करें, अब बताईये 20 साल पहले वाले मामले में सजा हुई है और महागठबंधन रहता, तो मेरी क्या हालत होती ? हमसे तो लोग उम्मीद करते कि जरा बोलिये आप भी कुछ, हमसे उम्मीद करते कि अगर जेल में गए हैं, तो जेल में जाकर मिलिये तो यही मेरा काम था, हम इसी के लिए राजनीति में आए हैं ? बहुत लोग हमको कहा, अरे भाई और बाकी जो काम था, एक्सप्लेन ही नहीं किए तो हम क्या करें, हम उसी तरफ रहें, हम तो काम में विश्वास करते हैं, काम कर रहे हैं और हमने कह दिया था बिहार के हित में काम करेंगे और छात्रवृति वगैरह के बारे में बात तो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना शुरु किए हैं, बैंक से 160 परसेंट, अगर 100 रुपया का क्रेडिट कार्ड है, तो 160 रुपये की गारन्टी हमलागों ने दी है लेकिन बैंक का रवैया ठीक नहीं रहता है । उसमें इतना उनका जो काम करने का नजरिया है कि अब भाई इससे हो करके हमलोगों ने अब बिहार में तय कर दिया कि अगले वित्तीय वर्ष से हम शिक्षा वित्त निगम बनायेंगे और बैंक के माध्यम से नहीं हम अपने छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए इन्टरमीडिएट के बाद पढ़ने के लिए, उस निगम के माध्यम से हम 4 लाख रुपये तक की सीमा की मदद करेंगे और यह सब भी हमलोगों ने किया है। इसके अलावे जो छात्रवृति प्री-मैट्रिक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, प्री-मैट्रिक छात्रवृति- चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जन-जाति का हो, अति पिछड़े वर्ग का हो या पिछड़े वर्ग का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, जिसका भी है, वो सब चीजें उसी प्रकार से जारी हैं, पोस्टमैट्रिक भी, पोस्टमैट्रिक के बारे में कुछ महीने तक के लिए यह जरुर मन में भ्रम में आया कि अगर हम स्टूडेंट क्रेडिट

कार्ड दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, लोग इसका लाभ लें लेकिन फिर ऐसा लगा कि इसका लाभ उस तरह से नहीं उठा रहे हैं, तो हमलोगों ने कहा कि नहीं, जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृति की योजना है, वह उसी तरह से जारी रहेगा । तो जारी है और इसके अलावे गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाता है, वह आगे पढ़े, हमारा ग्रौस इनरौलमेंट रेशियो 12वीं कक्षा के बाद हायर एडुकेशन में मात्र 13.9 है, हम चाहते हैं इसको कम से कम 30 प्रतिशत तक पहुंचाये, राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर ले जांय और इसके लिए सब काम कर रहे हैं, तो यह सब काम हो रहा है और यह एक भ्रम फैलाने की कोशिश यह सब बेकार का भ्रम है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, सब के लिए प्रीमैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो भी छात्रवृति है, वह उसी प्रकार से जारी है, उसके अलावे ये स्टूडेंट कार्ड की योजना है- 4 लाख रुपये सीमा तक । यही नहीं लोग कहते हैं काम क्या-क्या, नहीं सुनना पड़ा था हमको, बिहार में जब संग्रहालय बना रहे थे, तो क्या नहीं सुनना पड़ा था, हमारे बिहार में तो तरह-तरह के इन्टेलेक्चुअल हैं, भाई 52 लोगों का अखबार में बयान आया था, अरे बिहार की खासियत क्या है, बिहार का जो इतिहास है, हमारा जो पुरातात्विक महत्व है, वही हमारी सबसे बड़ी खासियत है, हम उसको अगर प्रीजर्व करके नहीं रखेंगे, उसके प्रति हम लोगों को जागृत नहीं रखेंगे, तो बिहार की अपनी खासियत समाप्त हो जायेगी । जब हम पटना म्यूजियम देखने गए थे और हमने देखा कि कितने आर्टिफैक्ट्स हैं, जो यूं ही फेंके हुए हैं और मुझे पता चला कि पटना म्यूजियम का एक्सपैंशन किया जा रहा है, 5 करोड़ रुपये की लागत से और बताया कि बगल में मकान बन रहा है, तो हमने कहा कि इससे क्या होने वाला है ? आप अलग से बनाईये एक म्यूजियम और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाईये और इसके लिए फिर अन्तर्राष्ट्रीय लोगों से सहायता ली गयी और इस काम को प्रारम्भ किया गया । तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बिहार में एक मात्र म्यूजियम है बिहार म्यूजियम और आज देख लीजिये आर्टिफैक्ट्स उसमें देख लीजिये, अरे बिहार म्यूजियम अपने आप में एक म्यूजियम हो गया है । आज कितने लोग उसको देखने आ रहे हैं और कितना पुरस्कार उसको मिल रहा है, क्या-क्या नहीं सुनना पड़ा था हमको ? एक से एक लोग होते हैं, यहाँ बिहार में तो खैर, मैं तो जानता हूँ मानसिक प्रवृति, कुछ लोगों को तो ईर्ष्या का भाव होता है, अगर हमलोग कुछ करते हैं, तो ढेर आदमी को लगता है कि अरे हमलोग इन्टेलेक्चुअल हैं, ई कैसे कर रहा है, तो कुछ-कुछ कहना है, भाई कहते रहो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, हम तो जो काम जिसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, वह हम करते हैं और करते रहेंगे । आज बिहार म्यूजियम बन गया । अब कितने लोग आ रहे हैं, कितने उसके स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, अभी तो और काम इन्टेरियर को, आर्टिफैक्ट्स को रखने का काम अभी चल ही रहा है और इसके बाद जान लीजिये, इसके बाद हम फिर पटना म्यूजियम गये, क्या-क्या विवाद

कराया था, राहुल सांकृत्यायन जी, जो तिब्बत से लाए हैं, उसको उठा कर लाया जा रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी आक्रोशित किया । अरे भईया पटना म्यूजियम में रहेगा राहुल सांकृत्यायन जी से संबंधित सारी चीजें, यहाँ तो दूसरी चीजें रखी जा रही हैं लेकिन क्या-क्या नहीं, बकवास कुछ लोग करते रहते हैं और उसके बाद हम फिर पटना म्यूजियम गए और पटना म्यूजियम जाकर देखा कि बिहार म्यूजियम के बाद भी अभी भी वहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं । हमने कहा कि नहीं, अब इसको भी हम विकसित करेंगे और मैं उस दिन गया, तो मुझे मालूम हुआ कि पटना म्यूजियम के कोने में बड़ा भारी आर्कियोलॉजिकल साईट है, हमने कहा कि खुदाई कराईयेगा और ऐज इट इज छोड़ दीजियेगा ताकि कोई भी बच्चा आए, कोई भी लोग आए, देश का आए, देश के बाहर का आए, राज्य का आये, राज्य के बाहर का आए देखे, पटना का क्या महत्व है, पाटलिपुत्र का क्या महत्व है और उसका भी उसके अंदर भी, उसके एक्सपैंशन कर पीछे उसका हमने डिजाईन सजेस्ट किया है । हम करते रहते हैं, अब बहुत लोगों को भ्रम रहता है, तो मैं क्या करुं, इसके लिए बिहार संग्रहालय का जब निर्माण हुआ, इसकी विशेषताओं के लिए तो देश-विदेश में हो रही है चर्चा, इससे राष्ट्रीय संरक्षा परिषद्, नेशनल सेफ्टी कौन्सिल, द्वारा 2016 में सर्वोत्तम सुरक्षित निर्माण श्रेणी में सुरक्षा पुरस्कार और संग्रहालय के डिजाईन को 2018 में आई एफ डिजाईन जर्मनी इन्टरनेशनल बेस्ट आईडेन्टिटी पुरस्कार, क्यूरियस डिजाईन, ब्लू एलीफैंट पुरस्कार दिया गया ।

क्रमशः

टर्न-15/28.2.2018/बिपिन

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः... अब जरा बताइए लोगों को । यह सब काम होता है और कैसे हो रहा है और किस प्रकार से बाहर में इसकी चर्चा हो रही है, हम तो यही चाहते हैं न! बिहार का अतीत गौरवशाली है । हम गौरव के उसी स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं । उसके लिए सब काम करते हैं। न हम कानून-व्यवस्था से कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, न अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कोई कमी आने देंगे, न स्वास्थ्य, शिक्षा और न कल्याण के काम में कमी आने देंगे, न सात निश्चय की योजनाएं हैं उसमें कोई कमी आने देंगे, न नारी सशक्तिकरण में कमी आने देंगे, न जो निचले पायदान पर जो लोग हैं, हाशिए पर जो लोग हैं, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें कोई कमी लाने देंगे, लेकिन सब चीजों के साथ-साथ हम अपने इतिहास और अपने पुरातात्विक महत्ता को समझते हुए उस दिशा में भी काम करते रहेंगे । अब सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना । अब जरा बताइए- कैसा बना है ? ज्ञान भवन कैसा बना है, कैसा बना है बापू सभागार और अब पीछे सभ्यता द्वार बन रहा है और सामने बनेगा सम्राट अशोक की एक सांकेतिक प्रतिमा भी लगेगी । यह सब कर रहे हैं । कितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और अभी नीति आयोग विनिर्माण उद्योग के द्वारा स्थापित सी.आई.

डी.सी. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कौंसिल द्वारा नवीन और इन्नोवेटिक तकनीक का इस्तेमाल इंजीनियरिंग प्रबंधन, दक्ष कर्मियों का उपयोग, पर्यावरण पर इसका प्रभाव, ग्रीन तकनीक का उपयोग, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न उपायों के मूल्यांकन के आधार पर, इतने प्वायंट्स हैं जिस पर मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, पटना को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । यह सब काम हो रहा है । लेकिन लोगों को कहां फुर्सत है ? फुर्सत कहां है ? अरे, कल जो इतिहास बदलता है तो आज जो हमलोग आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करते हैं तो क्या निकलता है उसमें ? जब खुदाई होती है तो क्या निकलता है ? एक स्ट्रक्चर निकलता है बिल्डिंग का और उसी से पहचान होती है कि किसके समय का है और क्या था बताइये आप । आज नहीं बनाएंगे और यही नहीं, हम आपलोगों को एक और जानकारी दे रहे हैं पुलिस भवन बन रहा है और इस भवन में भी हमने एक विशेष पहल की है । अधिक तीव्रता वाले भूकंप से बचने के लिए इसमें लीड रबर बीयरिंग का इस्तेमाल बेस आइसोलेशन हेतु किया गया है । भवन के कोर क्षेत्र में उसका जो बीच का है, उस क्षेत्र में इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर आपदा की स्थिति में भयंकर भूकंप आ गया, उस समय भी वह नहीं टूटेगा और वहां से जो भी आपदा प्रबंधन का कार्य हो, वह किया जाएगा आपदा के समय । अधिक तीव्रता वाले भूकंप के समय भी कार्य करता रहेगा और उसके छत पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करेगा । तो यह सब काम होते रहता है । कहां किसी को दिलचस्पी है काम का और हमसे पूछ रहा है क्या काम हो रहा है ? जानते थे कौन-कौन काम हो रहा है ? विभाग तो दे दिए थे । कुछ पता होगा ठीक से? कुछ पता नहीं होगा कि क्या-क्या काम हो रहा है, क्या आइडिया है ? तो यह सब काम हो रहा है और इसके अलावे जान लीजिए, वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय का निर्माण और स्तूप भी बनेगा । भगवान बुद्ध का ऑथेंटिक रेलिक्स सिर्फ वैशाली से मिला और उसी को आज म्यूजियम में रखा गया है । उसी रेलिक्स को, भगवान बुद्ध के अवशेष को वैशाली में स्तूप के अंदर रखा जाएगा और वह बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय बन रहा है । 72-73 एकड़ जमीन ले चुके हैं । सारा काम हो गया है । सरकार ने पैसा सैंक्सन कर दिया है । हर कुछ किया है और वह बिल्कुल बनेगा पत्थर से । हमारा तो यहां जो स्तूप बना है करूणा स्तूप, बुद्ध स्मृति पार्क में, उस समय तो हमको उतना आइडिया नहीं था । बन गया है, बहुत सुंदर बन गया है लेकिन उसी समय हमको जानकारी मिली कि अगर पत्थर का बनाया जाए तो असीमित काल तक रहेगा, तो वैशाली का जो स्तूप बनेगा, वह पत्थर का बनने जा रहा है । उसके अंदर वही भगवान बुद्ध का रेलिक्स जो आज पटना म्यूजियम में रखा गया है, पूरी सुरक्षा में रखा जाएगा । तो जैसे बोधगया जाते हैं, भगवान बुद्ध के ज्ञान भूमि का दर्शन करने, उसी तरह से लोग जाएंगे वैशाली के उस स्तूप का दर्शन करने के लिए, वह जो उनका अवशेष है, उनका

दर्शन करने के लिए । तो हमलोग तो यह सब भी काम करते रहते हैं। लेकिन बहुत लोगों को काम से क्या मतलब है ? जुबान चलाओ । अब कितनी बातें कही जाती हैं । मैं उन बातों पर कहां जाऊं ? सवा घंटा हो भी गया अध्यक्ष महोदय । दूसरे सदन में भी बोलना है । इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, हमलोगों का कमिटमेंट, हमलोगों की प्रतिबद्धता लोगों की सेवा के प्रति है और सत्ता मिलती है सेवा करने के लिए । सेवा कीजिए । कुछ लोग समझते हैं सत्ता मिलती है मेवा के लिए । सत्ता तो सेवा के लिए मिलती है । अब जिनकी वह धारणा है वे अपनी अवधारणा रखें । हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है लेकिन चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, हमलोग बिहार की खिदमत करते रहेंगे और जो मौलिक सिद्धांत है न्याय के साथ विकास का, उसी रास्ते पर चलते हुए जन-जन तक विकास का लाभ पहुँचाएंगे, यही हमलोगों का संकल्प है और बिहार के गौरवशाली अतीत को पहचानते हुए गौरव के उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से संबंधित श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स.वि.स. द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधनों को पढ़ा हुआ माना गया उन्हें मैं बारी-बारी से लेता हूं ।

क्या नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

'' सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल कृतज्ञ हैं ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 15 (पंद्रह) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, हर्ष और उल्लास का पर्व होली आसन्न है । वैसे मुजफ्फरपुर की दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे जिम्मेवार बिहारवासियों ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है फिर भी यह पर्व बुराईयों एवं कटुता को दूर भगाने और भाईचारा बढ़ाने का होता है इस हेतु मैं आप सबों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं ।

इसी खैर-अंदेशी के साथ अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018 को 10.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।